

[2023] 10 एस. सी. आर 775:2023 आई. एन. एस. सी. 613

क.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम

ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस.

(2023 की सिविल अपील संख्या 529) 04 जुलाई, 2023

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.]

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 -धारा 33-विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 -धारा 34-विकलांग व्यक्ति के लिए पदोन्नति में आरक्षण-50 प्रतिशत अक्षमता के साथ अंगों के पोलियो पक्षाघात के बाद बैंक कर्मचारी-प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय योग्यता परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ, हालांकि, योग्यता अंकों से तीन अंकों से कम हो गया-एससी/एसटी श्रेणी के बराबर अंकों की कम गिरावट को माफ करने के लिए प्रतिनिधित्व, लेकिन विचार नहीं किया गया-कर्मचारी द्वारा लिखित याचिका-उच्च न्यायालय ने बैंक को प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के साथ-साथ समूह 'ए' और समूह 'बी' पदों में पदोन्नति कोटे में आने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया-कर्मचारी द्वारा दायर समीक्षा याचिका क्योंकि उच्च न्यायालय ने अनुग्रह अंकों पर स्थिति और उनकी योग्यता/वरिष्ठता के दावे को स्पष्ट नहीं किया था।पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 में न केवल नियुक्ति में अनिवार्य आरक्षण, बल्कि पदोन्नति में आरक्षण पर भी विचार किया गया-पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 में फीडर संवर्ग में सेवारत विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति के लिए पदों के आरक्षण को अनिवार्य करने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, हालांकि यह निर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी अक्षमता के आधार पर पदोन्नति से इनकार नहीं किया जाएगा-केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की आवश्यकता में एक स्पष्ट जनादेश की अनुपस्थिति का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता था कि उचित सरकार को पदोन्नति पदों पर आरक्षित रिक्तियों को नहीं रखने के लिए बाध्य नहीं किया गया था-तथ्यों पर, सामान्य उम्मीदवारों पर लागू होने वाले मानकों को लागू करना कठोर था, जबकि उन्होंने अपनी पदोन्नति हासिल करने के लिए ऐसे सामान्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा की-बैंक को इस संबंध में एक सूचित निर्णय लेना चाहिए था जो उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप था।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

775 ए.

776 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

पदोन्नति पर कर्मचारी को समायोजित करने के लिए आरक्षण के लिए अन्यायपूर्ण है-इसके मद्देनजर, सहायक प्रबंधक ग्रेड-'ए' के पद पर कर्मचारी को पदोन्नति देने के लिए बैंक को निर्देश जारी करना-सेवा कानून-भारत का संविधान-अनुच्छेद 142।

अपीलों का निपटारा करते हुए, अदालत प्रति दीपांकर दत्ता, जे।

पकड़ना: **1.1** विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, **1995** के अध्याय **VI** में एक स्पष्ट जनादेश की अनुपस्थिति, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की आवश्यकता होती है, का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता था कि उपयुक्त सरकार धारा **33** के खंड (i) से (iii) का उत्तर देने वालों के लिए पदोन्नति पदों पर आरक्षित रिक्तियों को नहीं रखने के लिए बाध्य है। हालाँकि धारा **33** में उपयोग की गई भाषा थोड़ी सी उलझन को स्वीकार कर सकती है, लेकिन वहाँ के महत्वपूर्ण शब्द "प्रत्येक प्रतिष्ठान में नियुक्त होंगे"। व्याख्या में, इसका तात्पर्य यह है कि जब उपयुक्त सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में नियुक्ति कर रही है, तो उसे विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए कम से कम **3 (तीन)** प्रतिशत रिक्तियाँ आरक्षित रखनी चाहिए, जिनमें से प्रत्येक **1 (एक)** प्रतिशत खंडों में उल्लिखित प्रकृति के विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, अर्थात्, (i) अंधापन या कम दृष्टि, (ii) श्रवण हानि, और (iii) गति विकलांग या मस्तिष्क पक्षाघात, और यह नियुक्ति उक्त खंडों में उल्लिखित प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों पर की जाएगी। इसलिए, धारा **33** द्वारा यह वैधानिक कर्तव्य दिया गया है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए जो **3 (तीन)** प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक विकलांगता के लिए चिन्हित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों का न्यूनतम **1 (एक)** प्रतिशत आरक्षित होना चाहिए। यह भ्रम, "नियुक्ति" शब्द की संकीर्ण व्याख्या से उत्पन्न हो सकता है, यह महसूस किए बिना कि "पदोन्नति" भी "नियुक्ति" के भीतर शामिल है। "नियुक्ति" शब्द काफी व्यापक है और इसमें "प्रत्यक्ष भर्ती" द्वारा नियुक्ति के रूप में "पदोन्नति" के माध्यम से नियुक्ति शामिल है। राजीव कुमार गुप्ता (मामले) से पहले, पदोन्नति में आरक्षण के पहलू पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। राजीव कुमार गुप्ता के मामले द्वारा की गई पीडब्ल्यूडी अधिनियम, **1995** की धारा **33** की व्याख्या सिद्धाराजू के मामले में अपनी प्रतिध्वनि पाती है। [पैरा **16**] [792-ई-एच; 793-ए-सी] ए

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

777

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस.

1.2 विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, **2016** स्पष्ट रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति पदों पर आरक्षण के लाभ उपलब्ध कराता है जिसमें धारा **34** का पहला परंतुक यह आदेश देता है कि पदोन्नति में आरक्षण ऐसे निर्देशों के अनुसार होगा जो उपयुक्त सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद **141** के अर्थ के भीतर कानून सिद्धाराजू द्वारा घोषित किया गया है और भारत सरकार ने ऊपर उल्लिखित **28** सितंबर, **2021** के इस न्यायालय के आदेश को लागू किया है और **17** मई, **2022** को ओ. एम. जारी किया है, वही "निर्देश" का गठन करता है जैसा कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, **2016** की धारा **34** के पहले परंतुक द्वारा विचार किया गया है। इस तरह के निर्देशों में निम्नतम श्रेणी में समूह-'ए' में पदों पर पदोन्नति में आरक्षण पर विचार किया गया है। [अनुच्छेद **17**] [793-सी-ई] **1.3** जब विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में पीडब्ल्यूडी अधिनियम, **1995** और पीडब्ल्यूडी अधिनियम, **2016** के प्रावधानों की तुलना की जाती है, तो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि पूर्व में जो निहित था वह बाद वाले द्वारा स्पष्ट किया गया है। [पैरा **18**] [793-ई-एफ]

ग

डी.

1.4 इस प्रस्ताव के लिए अधिकार की कोई कमी नहीं है कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, **1995** ने न केवल नियुक्ति में आरक्षण को अनिवार्य किया, बल्कि पदोन्नति में आरक्षण पर भी विचार किया। पीडब्ल्यूडी अधिनियम, **1995** की धारा **33** के बारे में पदोन्नति में आरक्षण पर विचार नहीं करने की कोई भी धारणा और समझ गलत और गलत है। [पैरा **40** और **41**] **[800-ए-बी]**

ई.

1.5 29 दिसंबर, **2005** के ओ. एम. को राजीव कुमार गुप्ता के मामले में अलग रखे जाने के बाद, पहला सवाल यह है कि क्या ओ. एम. द्वारा दिनांक **8** दिसंबर, **2013** को लाए गए ओ. एम. के अनुच्छेद **14** का संशोधन पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा, विचार के लिए मौजूद नहीं है। इसके अलावा, राजीव कुमार गुप्ता के मामले में भारत सरकार को समूह 'ए' और समूह 'बी' में सभी चिन्हित पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए **3 (तीन)** प्रतिशत आरक्षण का विस्तार करने का निर्देश दिया गया है, चाहे ऐसे पदों को भरने का तरीका कुछ भी हो, और सिद्धाराजू के मामले में बड़ी पीठ ने इस तरह के निर्णय को अपनी मंजूरी की मुहर दे दी है, दूसरे प्रश्न का भी अपीलार्थियों के खिलाफ स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया है। अंत में, यह सवाल कि क्या उच्च न्यायालय राष्ट्रीय परिसंघ पर भरोसा करने में सही था

च

जी.

एच.

778 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट **[2023] 10 एस. सी. आर.**

क.

विकलांगों के मामले का विकास अब इस न्यायालय के कई फैसलों को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति की पुष्टि करते हुए कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, **1995** की धारा **33** में उल्लिखित रोजगार में आरक्षण में उल्लिखित **3 (तीन)** प्रकार की अक्षमताओं में से प्रत्येक के लिए पहचाने गए सभी पदों को शामिल किया गया है और यह समूह 'सी' और समूह 'डी' पदों तक ही सीमित नहीं है। उसमें लिया गया दृष्टिकोण स्वीकार किया जाता है। [पैरा **42**] **[800-बी-एफ]**

1.6 उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय रिजर्व बैंक का कथन था कि विकलांग व्यक्तियों के लिए ग्रेड-'ए' में पदोन्नति पदों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए, आरक्षित रिक्ति पर पदोन्नति का लाभ प्रतिवादी को नहीं दिया जा सकता है। यह वास्तव में स्पष्ट कारण था जिसके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध मूल्यांकन के आसान मानकों को विकलांग व्यक्तियों के लिए विस्तारित नहीं किया गया था, एक दुर्भाग्य से, प्रतिवादी के लिए। दूसरे शब्दों में, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्ति पर पदोन्नति के लिए प्रतिवादी के दावे पर, किसी भी चिन्हित समूह 'ए' पद के अभाव में, शिथिल मानकों के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता था। कि उपयुक्त सरकार को समूह 'ए' और समूह 'बी' के चिन्हित पदों में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के मामले में आरक्षण उपलब्ध कराना चाहिए, इस न्यायालय द्वारा निर्णायक और आधिकारिक रूप से निर्णय लिया गया था।

ग

डी.

रवि प्रकाश गुप्ता और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड्स के मामले में

ई.

जिस समय तक विवादित निर्णय और आदेश दिया गया था। यह स्थिति होने के कारण, कोई वैध तर्क नहीं दिया जा सकता था कि समूह-'ए' पदों पर नियुक्ति के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण उपलब्ध नहीं है। जो बचा था वह यह था कि क्या समूह-'ए' पदों पर पदोन्नति नियुक्ति के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण उपलब्ध है। राजीव कुमार गुप्ता के मामले में भी इस मुद्दे को शांत किया गया है।

च

सिद्धाराजू का मामला और लीसम्मा जोसेफ का मामला।दोनों बड़े

प्रत्यर्थी के मार्ग में बाधाएं, इस प्रकार, पीडब्ल्यूडी अधिनियम, **1995** की व्यावहारिक और उचित व्याख्या के कारण दूर हो जाती हैं।[पैरा **45**] **[801-जी-एच; 802-ए-डी]**

जी.

1.7 हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि जब प्रतिवादी ने पैनल वर्ष **2003** की परीक्षा में भाग लिया था, तो इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया था कि पदोन्नति में आरक्षण ए है।

एच.

779

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस. v. ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस.

समूह 'ए' पदों के संबंध में अनुमेय।यह भी उतना ही सच है कि इस न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम, **1995** की धारा **32** और **33** की व्याख्या करते हुए अपने द्वारा निर्धारित कानून को संभावित अनुप्रयोग घोषित नहीं किया था।यह एक सिद्धांत है, जो कानून में अच्छी तरह से स्थापित है, कि कानून के प्रावधान की व्याख्या कानून की तारीख से ही संबंधित है।यह अनिवार्य रूप से इस कारण से है कि न्यायालय का कर्तव्य कानून बनाना नहीं है, बल्कि कानून की व्याख्या करना है।हालाँकि, ऐसा सिद्धांत इस अपवाद के अधीन है कि यह न्यायालय, किसी दिए गए मामले में, घोषणा कर सकता है कि इसकी व्याख्या संभावित रूप से प्रभावी होगी।निर्दिष्ट किसी भी निर्णय में इस न्यायालय का स्पष्ट इरादा यह नहीं है।यह कानूनी स्थिति होने के कारण, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थी को यह दावा करने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था कि समूह 'ए' पदों में पदोन्नति नियुक्ति में आरक्षण पीडब्ल्यूडी अधिनियम, **1995** में निहित है।[पैरा **46**] **[802-डी-जी]**

ग

1.8 जहां तक इस बात का संबंध है कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने **2003** के इंदिरा साहनी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए लागू किए गए आसान मानकों के अनुरूप पदोन्नति प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए की गई टिप्पणी से संबंधित **3 (तीन)** अंकों की कमी को स्वीकार नहीं किया था, यह वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संचार से पता चलता है कि यह ए. आई. परिसंघ के मामले में इस न्यायालय के दिनांकित आदेश का पालन करने के लिए एक अनुवर्ती कदम के रूप में सामने आया है।अन्यथा भी, विकलांग व्यक्तियों तक पहुँचने और उन्हें वे सुविधाएँ और लाभ प्रदान करने के लिए जो **1995** के अधिनियम में परिकल्पित हैं, उत्तरदाता के लिए सामान्य उम्मीदवारों पर लागू होने वाले मानकों को लागू करना कठोर था, जबकि वह अपनी पदोन्नति हासिल करने के लिए ऐसे सामान्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करता था।आर. बी. आई. को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में विकलांग व्यक्तियों की आकांक्षाओं के अनुरूप इस संबंध में एक सूचित निर्णय लेना चाहिए था।[पैरा **47** और **48**] **[802-एच; 803-ए-सी]**

डी.

ई.

च

1.9 विकलांग व्यक्ति एससी/एसटी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी का आकलन करने के लिए लागू किए गए समान आराम से मानकों द्वारा न्याय किए जाने के हकदार नहीं हैं।अंकों में कमी को माफ करने में भारतीय रिजर्व बैंक की चूक या विफलता के साथ-साथ आरक्षण के लिए उपयुक्त समूह 'ए' पद की पहचान करने में लापरवाही

जी.

एच.

क.

पदोन्नति पर प्रतिवादी को समायोजित करना अक्षम्य प्रतीत होता है।[पैरा 49 और 50] [803-सी-डी]

1.10 जब प्रत्यर्थी ने **2004** में सहायक प्रबंधक, ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा दी थी, तब समूह 'ए' पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति नियुक्तियों में आरक्षण उपलब्ध कराने वाले पीडब्ल्यू डी अधिनियम, **1995** की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं था। पहली बार यह घोषित किया गया था

जब राजीव कुमार गुप्ता के मामले में फैसला सुनाया गया था।

जहां तक इस बात का संबंध है कि क्या इन परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक को मूल्यांकन के मानक में ढील देने और पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रतिवादी को पदोन्नति देने का निर्देश दिया जाए, उच्च न्यायालय ने अनिवार्य रूप से प्रतिवादी को पदोन्नति देने का निर्देश नहीं दिया। उच्च न्यायालय का फैसला, अनपेक्षित रूप से, आरक्षण नीति को लागू करने तक ही सीमित था। उच्च न्यायालय ने यह घोषणा नहीं की कि प्रतिवादी को पैनल परीक्षा **2003** के संदर्भ में अंकों में कमी को माफ करने का भी अधिकार होना चाहिए। जहाँ तक प्रासंगिक नियमों के तहत अन्य योग्यता आवश्यकताओं का संबंध है, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह नहीं समझा जा सकता है कि उसने ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रतिवादी के प्रश्न पर कोई राय व्यक्त की है। आदेश की इस तरह की रूपरेखा को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए यह खुला था कि वह प्रतिवादी को पदोन्नति के लिए विचार करे और कानून के प्रचलित स्पष्टीकरण के अनुसार उसे पदोन्नति देने या अस्वीकार करने के लिए उचित आदेश पारित करे। आर. बी. आई. ने आदेश का पालन करने के बजाय **12** सितंबर, **2014** को इस अदालत में निर्णय और आदेश पारित किया। भारत सरकार ने भी इसका अनुसरण किया। यह प्रतिवादी ही था जो सीमा की अवधि के भीतर एक समीक्षा याचिका के साथ उच्च न्यायालय गया, जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष छुट्टी के लिए याचिका के लंबित होने को ध्यान में रखते हुए उसके अधिकारों को खुला रखा गया है। ऐसा लगता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दम पर उस असहज स्थिति को आमंत्रित किया है जिसमें वह अब खुद को पाता है। इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान दिए गए इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार किया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि जब उच्च न्यायालय ने अंत में प्रतिवादी की रिट याचिका का फैसला किया तो वे उपलब्ध नहीं थे। यदि उच्च न्यायालय के आदेश का समय पर पालन किया जाता तो रिजर्व बैंक को इस पहली का सामना नहीं करना पड़ता।[पारस **52** और **53**] [803-ई-एच; **804-ए-डी**] ए

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

781

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस.

1.11 बिना किसी अवलोकन के बर्खास्तगी में आगे अनावश्यक मुकदमेबाजी पैदा करने की क्षमता है। साथ ही, हालांकि प्रतिवादी ने कोई प्रति-अपील दायर नहीं की थी, उसने समीक्षा के लिए आवेदन किया था और इस न्यायालय द्वारा कार्यवाही के निपटारे के बाद समीक्षा याचिका को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।[पैरा **54**] [804-ई-एफ]

1.12 अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए और इस सवाल का जवाब देने के लिए कि प्रतिवादी को वैध रूप से किस हद तक राहत दी जा सकती है, इस उद्देश्य में "पूर्ण न्याय करने के लिए" संविधान के अनुच्छेद **142** का आह्वान करना उचित माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह प्रत्यर्थी को सहायक प्रबंधक ग्रेड-'ए' के पद पर काल्पनिक पदोन्नति प्रदान करे, जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से प्रभावी होगी, यानी **27** सितंबर, **2006** और वास्तविक पदोन्नति **15** सितंबर, **2014** से, यानी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन की अंतिम तिथि। यह अभ्यास तारीख से **2** (दो) महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। **15** सितंबर, **2014** से प्रत्यर्थी को प्राप्त होने वाले मौद्रिक लाभों की गणना की जाएगी और तारीख से **4** (चार) महीने तक जारी किए जाएंगे। [पैरा **55-56**] **[804-F-H; 805-A]**

ग

डी.

विकलांगों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिसंघ और ए. एन. आर. v. भारत संघ और अन्य। 2010 की पी. आई. एल. 106; भारत सरकार और अन्न बनाम रवि प्रकाश गुप्ता और अन्न। (2010) 7

ई.

एससीसी 626:[2010] 7 एस. सी. आर. 851; भारत संघ बनाम.

नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड (2013) 10 एससीसी 772:[2013] 9 एससीआर 1023; राजीव कुमार गुप्ता और ओआरएस. वी.

भारत संघ और ओआरएस। (2016) 13 एससीसी 153:[2016] 3

च

एस. सी. आर. **407**; सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। (2020) 19 एस. सी. सी. **572**; केरल राज्य और अन्य। वी.

लीसम्मा जोसेफ (2021) 9 एससीसी 208; ए. आई.

कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्न। (2014) 15 एस. सी. सी. **481**; इंद्र साहनी बनाम भारत संघ

(1992) 3 मान लीजिए एससीसी **217**:[1992] 2 पूरक। एस. सी. आर. **454**-संदर्भित।

जी.

एस. रवींद्र भट्ट जे के अनुसार:(पूरक)

पकड़ना:**1.1** विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, **1995** में विकलांगों के लिए 'पदोन्नति' में आरक्षण का प्रावधान नहीं था।

एच.

782 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति, इसके उत्तराधिकारी अधिनियम के विपरीत, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, **2016**, जिसने राज्य को ऐसा करने में सक्षम बनाया। **1995** के अधिनियम की धारा **33** में धारा **32** के तहत पहचाने गए पदों के लिए केवल **3** प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें (i) अंधापन या कम दृष्टि; (ii) श्रवण हानि; और (iii) गति विकलांग या मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक के लिए **1** प्रतिशत आरक्षण है। पदोन्नति तक इसके विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है। इस तरह की वैधानिक शक्ति के अभाव में, इस न्यायालय द्वारा मौजूदा प्रावधानों में इसका समावेश संदेह से परे नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से पदोन्नति में इस तरह के आरक्षण दिए गए हैं-

भले ही क्षैतिज रूप से-अधिकार के रूप में, इंद्र साहनी के मामले में नौ न्यायाधीशों द्वारा इसके स्पष्ट निषेध के विपरीत नहीं है। इसलिए, अन्यथा इसकी व्याख्या में गंभीर आरक्षण है।[पैरा 10] [820-जी; 821-ए-बी]

ग

1.2 जबकि इंद्र साहनी का मामला निस्संदेह नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण से संबंधित था। यह नहीं कहा जा सकता है कि पदोन्नति में आरक्षण पर इसका सक्रिय हिस्सा केवल उसी मोर्चे पर नागरिकों के अन्य वर्गों पर लागू नहीं होता है। इसके आवेदन को अलग करने की इस तरह की कवायद इसके तर्क के सार से चूक जाती है-कि प्रारंभिक नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान मूल समानता के जनादेश को आगे बढ़ाता है, लेकिन पदोन्नति के लिए इसका आवेदन उसी जनादेश के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 16 का इरादा प्रतिस्पर्धा की भावना को समाप्त करके प्रशासनिक अक्षमता से समझौता करने का नहीं था-आखिरकार, पदोन्नति से प्राप्त पद कम हो जाते हैं। एक निश्चित भाग को नागरिकों के एक वर्ग के लिए निर्धारित करना, न कि अन्य के लिए, जिन्होंने इस तरह की क्षैतिजता (जैसे महिलाएँ, सेवानिवृत्त/पूर्व सैनिक, आदि) के बल पर प्रारंभिक नियुक्तियाँ भी प्राप्त की हों। संवैधानिक रूप से संरक्षित नहीं है-पदोन्नति में आरक्षण का एकमात्र अपवाद एससी/एसटी नियुक्तियाँ हैं, जैसा कि अनुच्छेद 16 (4 ए) के तहत प्रदान किया गया है।[पैरा 11] [821-सी-ई]

डी.

ई.

च

1.3 क्षैतिज आरक्षण, उनके ऊर्ध्वाधर समकक्षों के विपरीत, कठोर नहीं हैं, लेकिन उनमें तरलता है। क्षैतिज आरक्षण के लिए पात्र उम्मीदवार को उनकी ऊर्ध्वाधर श्रेणी में नहीं रखा जाता है। आरक्षण के लिए इस इंटरलॉकिंग ढांचे से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए प्रवास की अनुमति है। हालाँकि, इस तरह का तंत्र पदोन्नति में अव्यवहारिक है, जहाँ ए

जी.

एच.

783

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस.

ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज योग्यता अनुपस्थित हैं (एससी/एसटी उम्मीदवार को छोड़कर)। विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित (तत्कालीन) 3 प्रतिशत आरक्षण अब क्षैतिज नहीं रहता है, बल्कि इसे ऊर्ध्वाधर रूप से लागू किया जाता है। जबकि 2016 का अधिनियम राज्य को इस तंत्र को तैयार करने में सक्षम बनाता है, ऐसा 1995 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। [पैरा 12] [821-एफ-जी]

1.4 इससे संविधान के अनुच्छेद 16 (4) द्वारा मान्यता प्राप्त उसी पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के साथ अलग-अलग व्यवहार भी होता है। एक ओ. बी. सी. उम्मीदवार जो एक विकलांग व्यक्ति भी है, उसे पदोन्नति में गैर-विकलांग ओ. बी. सी. उम्मीदवार पर वरीयता दी जाएगी, जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, टी. देवदासन और एन. एम. थॉमस के मामले को पढ़ने पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जबकि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाया जाना है, 2016 अधिनियम विकलांग उम्मीदवारों के लिए क्षैतिज आरक्षण को अधिकतम दो साल की अवधि के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। हालाँकि, संविधान में संशोधन यह मानता है कि पदोन्नति रिक्रियों में 'कैरी फॉरवर्ड' रिक्रियां 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो सकती हैं। इस संशोधन [अनुच्छेद 16 (4-बी) को सम्मिलित करने] को इस न्यायालय द्वारा M.Nagraj मामले में बरकरार रखा गया था। [पैरा 13] [822-ए-सी]

ग

डी.

1.5 1995 के अधिनियम की धारा **33** और **2016** के अधिनियम की धारा **34** जैसे प्रावधानों के पीछे प्रशंसनीय इरादा निर्विवाद है। यह दिया गया है कि विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवा में समायोजित करने की आवश्यकता है। साथ ही, इस उचित आवास से सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति रिक्रियों में आरक्षण के लिए अन्य प्रकार के क्षैतिज आरक्षण से लाभान्वित होने वालों की मांगों के लिए द्वार नहीं खुलने चाहिए। [पैरा **14**] **[822-डी]**

ई.

च

महाप्रबंधक, एस. आर. एल. वी. रंगचारी **(1962) 2 एस. सी. आर. 586**; टी. देवदासन बनाम भारत संघ **(1964) 4 एस. सी. आर. 680**; केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस **(1976) 2 एस. सी. सी. 310**; **[1976] 1 एस. सी. आर. 906**; इंद्र साहनी बनाम भारत संघ

जी.

(1992) 3 मान लीजिए एस. सी. सी. **217**; **[1992] 2** पूरक। एससीआर **454**;

भारत संघ बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड

(2013) 10 एससीसी 772; **[2013] 9 एससीआर 1023**; सरकार.

भारत बनाम रवि प्रकाश गुप्ता **(2010) 7 एससीसी 626**; **[2010] 7 एस. सी. आर. 851**; राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ

(2016) 13 एससीसी 153; **[2016] 3 एस. सी. आर. 407**; सिद्धाराजू बनाम.

एच.

784 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट **[2023] 10 एस. सी. आर.**

क.

कर्नाटक राज्य **(2020) 19 एस. सी. सी. 572**; केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ **(2021) 9 एस. सी. सी. 208**; सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2021) 4 एस. सी. सी. 542**; **[2020] 11**

एससीआर **281**; एम. नागराज बनाम भारत संघ **(2006) 8 एससीसी**

212 ; **[2006] 7** पूरक। एस. सी. आर. **336**-संदर्भित। निर्णीत विधि संदर्भ

दीपांकर दत्ता के फैसले में, जे.

[2010] 7 एससीआर 851

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

[2013] 9 एससीआर 1023

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

ग

[2016] 3 एससीआर 407

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

(2020) 19 एस. सी. सी. 572

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

(2021) 9 एससीसी 208

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

(2014) 15 एस. सी. सी. 481

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

डी.

[1992] 2 पूरक।एस. सी. आर. 454 पैरा 36 में निर्दिष्ट एस. रवींद्र भट्ट, जे.

[1962] 2 एससीआर 586

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1964] 4 एससीआर 680

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

ई.

[1976] 1 एससीआर 906

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1992] 2 पूरक।एस. सी. आर. 454 पैरा 2 [2013] 9 एस. सी. आर. 1023 पैरा 6 [2010] 7 एस. सी. आर. 851 पैरा 6 [2016] 3 एस. सी. आर. 407 पैरा 7 (2020) 19 एस. सी. सी. 572 पैरा 8 (2021) 9 एस. सी. सी. 208 पैरा 9 [2020] 11 एस. सी. आर. 281 पैरा 12 [2006] 7 सप्ली.पैरा 13 में निर्दिष्ट एस. सी. आर. 336

च

जी.

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 529

2023.

2006 के डब्ल्यू. पी. संख्या 2753 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 16.06.2014 से।
एच.

785

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस.

क.

सह

2023 की सिविल अपील सं. 530।

श्रीमती माधवी दीवान, ए. एस. जी., जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, एच. एस. परिहार, कुलदिप एस. परिहार, सुश्री इक्षिता परिहार, बी. कृष्ण प्रसाद, कृष्ण मोहन के., दानिया नय्यर, पवनश्री अग्रवाल, मुकेश कुमार मारोरिया, राज बहादुर यादव, अनीश कुमार गुप्ता, श्रीमती दीक्षा राय, श्रीमती अपूर्व कुरूप, श्रीमती आकंशा कौल, श्रीमती वैशाली वर्मा, शशांक बाजपेयी, प्रतीक धनखड़, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निर्णय/आदेश इसके द्वारा दिए गए थे

न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता

ग

चुनौती: 1. भारतीय रिजर्व बैंक (इसके बाद संक्षेप में 'आर. बी. आई.') और भारत संघ (इसके बाद संक्षेप में 'जी. ओ. आई.') विशेष अनुमति द्वारा अपील कर रहे हैं, जिसमें बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा 2006 की रिट याचिका पर पारित 16 जून, 2014 के फैसले और आदेश को चुनौती दी गई है।

डी.

तथ्य:

2. इन अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (इसके बाद 'पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995') द्वारा परिकल्पित लाभ का दावा करके भारतीय रिजर्व बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के लिए 50 प्रतिशत अक्षमता के साथ 'पोलियो के बाद अंगों के पक्षाघात' वाले व्यक्ति श्री नायर के गंभीर संघर्ष को दर्शाते हैं, साथ ही कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (इसके बाद 'डीओपीटी', संक्षेप में) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न कार्यालय ज्ञापन और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र।

ई.

च

3. श्री नायर 27 सितंबर, 1990 को विकलांग व्यक्ति के लिए आरक्षित रिक्ति पर सिक्का/नोट परीक्षक, ग्रेड-II/क्लर्क के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की सेवाओं में शामिल हुए। समय के साथ, श्री नायर ने प्रथम श्रेणी के पद पर अपनी पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 26 अप्रैल से 3 जुलाई, 2004 के बीच आयोजित पैनल वर्ष 2003 के लिए अखिल भारतीय योग्यता परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानक सामान्य उम्मीदवारों के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए भी समान थे। अन्य शर्तों को पूरा करने के अलावा, श्री नायर थे

जी.

एच.

[2023] 10 एस सी आर।

क.

पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए 95 (95) अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। परिणाम 19 अक्टूबर, 2004 को घोषित किए गए थे। 92 (92) अंक प्राप्त करने के बाद, वह केवल 3 (तीन) अंकों से योग्यता अंकों से चूक गए। पदोन्नति के लिए अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बावजूद, श्री नायर को इस तरह की कमी के कारण पदोन्नति के लिए नहीं माना गया था। चूंकि भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 (पांच) अंकों की सीमा तक कम गिरावट को माफ करने पर विचार किया गया था, श्री नायर ने 18 दिसंबर, 2004 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए लाभ प्रदान करने की मांग की गई थी।

"एससी/एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के बराबर" के रूप में उनके लिए उपलब्ध छूट

और चयनित उम्मीदवारों के पैनल में उनका नाम शामिल करने का भी अनुरोध किया। 25 मई, 2005 के एक उत्तर द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री नायर को सूचित किया कि पदोन्नति परीक्षाओं में विकलांग व्यक्तियों को अनुग्रह अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। अगले दिन तुरंत, श्री नायर ने एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और 5 जुलाई, 2000 के परिपत्र (सामान्य पक्ष में एस. ओ. ग्रेड 'ए' तक पदोन्नति में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का विस्तार, जहां सीट से बहुत अधिक स्थानांतरण शामिल नहीं है) और 19 अक्टूबर, 2004 के मास्टर सर्कुलर (इसके बाद संक्षेप में 'मास्टर सर्कुलर') पर ध्यान आकर्षित करते हुए विकलांग व्यक्तियों के लिए 'भर्ती में आरक्षण और बैंक में पदोन्नति' के विषय पर, दोनों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कई अभ्यावेदन आए जो हालांकि असफल साबित हुए।

ग

डी.

ई.

4. अंकों में कमी को माफ करने के प्रयास पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुकूल रूप से विचार नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सहायक प्रबंधक ग्रेड-I के पद पर उनकी पदोन्नति नहीं हुई, श्री नायर को एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई:-
- प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

"क) यह माननीय न्यायालय मामले के अभिलेखों को मंगाने के लिए प्रसन्न होगा और उसी पर विचार करने के बाद अधिदेश या अधिदेश की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश जारी करने के लिए प्रसन्न होगा, जिसमें उत्तरदाताओं को शर्तों में छूट प्रदान करने और/या विकलांग उम्मीदवार को अनुग्रह अंक प्रदान करने का निर्देश दिया जाएगा ताकि विकलांग उम्मीदवारों को पैनल वर्ष 2003 के लिए अखिल भारतीय योग्यता परीक्षा में विचाराधीन क्षेत्र में रखा जा सके और आगे उत्तरदाताओं को पैनल वर्ष 2003 ए के लिए अखिल भारतीय योग्यता परीक्षा में पदोन्नति के लिए चयनित उम्मीदवारों के पैनल में याचिकाकर्ता को रखने का निर्देश दिया जा सके।

जी.

एच.

उत्तरदाताओं द्वारा वर्ष 2004 में आयोजित किया गया और उत्तरदाताओं को शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी श्रेणी में ग्रेड ए में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश देते हुए प्रसन्न हों।

ख) उत्तरदाताओं को आदेश दिया जाए कि वे सर्कुलर Nos.49 और 18 दिनांक 05.07.2000 और 19.10.2004 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा पहचाने गए सभी पदों पर क्रमशः विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 3 प्रतिशत आरक्षण को लागू करें।"

5. आर. बी. आई. ने 8 फरवरी, 2008 को जवाबी हलफनामा दायर करके रिट याचिका को चुनौती दी थी। 29 दिसंबर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन (इसके बाद संक्षेप में 'ओम') का उल्लेख करते हुए

ग

"विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण "जो समेकित किया गया

पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के अनुरूप सभी मौजूदा निर्देशों और प्रक्रियात्मक मामलों सहित कुछ मुद्दों को स्पष्ट करते हुए, यह तर्क दिया गया कि विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' में सीधी भर्ती के मामले में 3 (तीन) प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की जानी चाहिए; और पदोन्नति के मामले में (तीन) प्रतिशत रिक्तियां केवल चिन्हित समूह 'सी' और 'डी' पदों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए, जिनमें प्रत्यक्ष भर्ती का तत्व, यदि कोई हो, तो 75 (पचहत्तर) प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसके अलावा, 25 अक्टूबर, 2002 के ओ. एम. में निहित भारत सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया था कि "(टी) यहाँ नहीं है।

डी.

ई.

जब समूह 'ए' और समूह 'बी' पदों पर पदोन्नति की जाती है तो विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण। जहाँ तक 5 तारीख का परिपत्र है

भारतीय रिजर्व बैंक के जुलाई, 2000 के संबंध में यह अनुरोध किया गया था कि इसमें निहित निर्देशों को रोक दिया गया था और उन्हें प्रभावी नहीं किया गया था। अंत में, 29 दिसंबर, 2005 के ओ. एम. के पैराग्राफ 22 का संदर्भ दिया गया था, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे:

च

"यदि विकलांग व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानक के आधार पर उपलब्ध नहीं है, तो इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन उनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए शिथिल मानक पर किया जा सकता है, बशर्ते कि वे ऐसे पद या पदों के लिए अयोग्य न पाए जाएं। इस प्रकार, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या को सामान्य मानकों के आधार पर नहीं भरा जा सकता है, इस श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए मानकों में ढील देकर लिया जा सकता है।

जी.

एच.

788 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

विचाराधीन पद/पदों पर नियुक्ति के लिए इन उम्मीदवारों की योग्यता के अधीन।"

6. उच्च न्यायालय की खंड पीठ को इसके लिए भेजा गया था

विकलांगों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिसंघ और ए. एन. आर. बनाम. में बेंच निर्णय का समन्वय करें। भारत संघ और अन्य। 1, जहाँ प्रार्थना की गई थी

राज्य सिविल सेवा से पदोन्नति द्वारा या राज्य के मामलों के संबंध में राजपत्रित पद धारण करने वाले लेकिन राज्य सिविल सेवा के सदस्य नहीं होने वाले व्यक्तियों में से चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदों पर विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए उत्तरदाताओं को एक आदेश जारी करने के लिए, उनकी पात्रता के अनुसार, 1996 से पूर्वव्यापी रूप से और इसके बाद उक्त प्रावधानों का पालन करने के लिए। भारत सरकार और ए. एन. आर. बनाम. में निर्णयवि प्रकाश गुप्ता और अन्न। 2 को भी संदर्भित किया गया था, जहां इस न्यायालय ने अखिल भारतीय सेवा में नियुक्ति के मामले में आरक्षण के प्रश्न पर विचार किया और चुनौती के तहत निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि आरक्षण समूह 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' में पदों पर लागू होता है। यूनियन में निर्णय पर डिवीजन बेंच का ध्यान भी आमंत्रित किया गया था

ग

डी.

भारत बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड **3**, जहाँ यह न्यायालय था

इस विचार से कि "विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना समूह ए, बी, सी और डी पदों के मामले में समान तरीके से की जानी चाहिए, अर्थात् संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या पर 3 प्रतिशत आरक्षण की गणना, जिसका उद्देश्य है -

ई.

विधायिका "। डिवीजन बेंच ने निर्णय को इस कानून के रूप में पढ़ा कि आरक्षण की गणना संवर्ग की संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या के संदर्भ में की जानी चाहिए और इसलिए, सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि "रिक्तियों की कुल संख्या

संवर्ग की संख्या में नामांकन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां और पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां शामिल होंगी। निश्चित रूप से

च

इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 55 में निर्देश जारी किए गए थे, जिसके कारण डीओपीटी द्वारा दिनांक 3 दिसंबर, 2013 को ओएम के पैराग्राफ 6 को संशोधित करते हुए 29 दिसंबर, 2005 को एक और ओएम जारी किया गया था।

7. उक्त निर्णय और दिनांक 3 दिसंबर, 2013 के ओ. एम. द्वारा किए गए संशोधन पर विचार करने पर, उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय

जी.

विकलांग विकास परिसंघ (उपरोक्त) का विचार था

1 2010 की जनहित याचिका 106 2 (2010) 7 एस. सी. सी. 626 3 (2013) 10 एस. सी. सी. 772 ए

एच.

789

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस. v. ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्त, जे।] ए.

कि प्रत्यर्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदों पर पदोन्नति के मामले में 29 दिसंबर, 2005 को ओ. एम. लागू करके और 29 दिसंबर, 2005 को ओ. एम. जारी करने की तारीख से इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुरूप बाद के कार्यालय ज्ञापन को लागू करके विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ देना होगा।

8. उल्लेखनीय है कि विकलांगों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिसंघ (उपरोक्त) में निर्णय एक विशेष अनुमति याचिका में भारत सरकार के कहने पर चुनौती का विषय था, जिसे 12 सितंबर, 2014 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद भारत सरकार द्वारा एक समीक्षा याचिका दायर की गई, जिसे गुण-दोष के आधार पर 5 दिसंबर, 2014 के एक आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। एक अन्य विशेष अनुमति याचिका जो भारत सरकार द्वारा समीक्षा याचिका को खारिज करने के आदेश से इस अदालत में लाई गई थी, 27 फरवरी, 2015 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार, जहां तक भारत सरकार का संबंध है, राष्ट्रीय परिसंघ में 4 दिसंबर, 2013 का निर्णय और आदेश

ग

विकलांगों के विकास के लिए (ऊपर) अंतिमता प्राप्त की।

डी.

9. पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने पर, पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995, ओ. एम. दिनांक 29 दिसंबर, 2005 और डी. ओ. पी. टी. द्वारा जारी ओ. एम. दिनांक 3 दिसंबर, 2013 के साथ-साथ जिन निर्णयों को इसे भेजा गया था, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“9. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि 3 दिसंबर 2013 के ओ. एम. के पैरा 5 द्वारा 29 दिसंबर 2005 के ओ. एम. के पैरा 14 में किया गया संशोधन 29 दिसंबर 2005 से लागू होगा और इसलिए प्रतिवादी-रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 29 दिसंबर 2005 से क्रमशः प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के साथ-साथ समूह 'ए' और समूह 'बी' पदों में पदोन्नति कोटे में आने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू करेगा।

ई.

च

10. यदि उपरोक्त निर्देश के आधार पर सहायक संवर्ग में किसी भी रिक्ति को भरा जाना आवश्यक है। 29 दिसंबर 2005 को या उसके बाद समूह 'ए' या समूह 'बी' में प्रबंधक और/या अन्य समकक्ष पदों पर, भारतीय रिजर्व बैंक 29 दिसंबर 2005 से आरक्षण नीति लागू करेगा और यदि इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के मामले पर ऐसी पदोन्नति के लिए विचार किया जाना आवश्यक है, तो उत्तरदाता-भारतीय रिजर्व बैंक पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करेगा।

जी.

एच.

790 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्देश केवल पदोन्नति के लिए आरक्षण नीति के लागू होने के बारे में विवाद के संदर्भ में है और यदि प्रासंगिक नियमों के तहत अन्य आवश्यकताएं हैं, तो इस न्यायालय को याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

12. ऊपर दिए गए निर्देश को आज से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।”

10. ऐसा प्रतीत होता है कि श्री नायर की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपनी समन्वय पीठ द्वारा व्यक्त किए गए पहले के विचार का पालन किया।

ग

11. श्री नायर ने 16 जून, 2014 के निर्णय और आदेश की समीक्षा 4 के लिए इस आधार पर आवेदन किया था कि उच्च न्यायालय ने अनुग्रह अंकों पर स्थिति को स्पष्ट नहीं करने और पात्रता की तारीख से योग्यता/वरिष्ठता के उनके दावे को संबोधित नहीं करने में गलती की थी। 31 अक्टूबर, 2014 को जब इस पर विचार किया गया तो उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि

इस न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षण याचिका के गुण-दोष की जांच किए बिना, उच्च न्यायालय ने श्री नायर को इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के निपटारे के बाद पुनरुद्धार की मांग करने की स्वतंत्रता के साथ इसका निपटारा कर दिया।

डी.

ई.

कानून का व्यापक अवलोकन:

12. उच्च न्यायालय द्वारा 16 जून, 2014 को विवादित निर्णय दिए जाने के बाद से पुल के नीचे बहुत पानी बह गया है। विधायी मोर्चे पर, संसद ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 को निरस्त करते हुए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (इसके बाद 'पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016' के रूप में संदर्भित) को अधिनियमित किया। न्यायिक पक्ष में, घोषणाएँ

च

राजीव कुमार गुप्ता और ओआरएस बनाम भारत संघ और ओआरएस। 5, सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। 6, और केरल राज्य और अन्य बनाम।

लीसाम्मा जोसेफ 7 ने दिन की रोशनी देखी है। कार्यपालिका ने अपनी ओर से इस न्यायालय के 28 सितंबर, 2021 के आदेश में निहित निर्देशों का पालन किया है।

जी.

4 2014 का आर. पी. संख्या 55 5 (2016) 13 एस. सी. सी. 153 6 (2020) 19 एस. सी. सी. 572 7 (2021) 9 एस. सी. सी. 208

8 सिविल अपील में एम. ए. 2171/2020 No.1567/2017 ए

एच.

791

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस. v. ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्त, जे।] ए.

जिसके परिणामस्वरूप डी. ओ. पी. टी. द्वारा दिनांक 17 मई, 2022 को ओ. एम. जारी किया गया। ये निस्संदेह विवादित फैसले के बाद के घटनाक्रम हैं; लेकिन चूंकि ये श्री नायर के इस दावे के गुण-दोष पर असर डाल सकते हैं कि उन्हें सहायक प्रबंधक के पद पर पदोन्नति से अन्यायपूर्ण रूप से वंचित कर दिया गया है, इसलिए इसे हमारे विचार से बाहर नहीं रखा जा सकता है। वास्तव में, 17 मई, 2022 को ओ. एम. जारी होने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 दिसंबर, 2022 को एक परिपत्र भी जारी किया है, जिसमें सहायक प्रबंधक ग्रेड-'ए' के पद पर 600 (छह सौ) रिक्तियों में से 16 (सोलह) रिक्तियों को विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने का अपना निर्णय बताया गया है, जिसे 10 दिसंबर, 2022 को निर्धारित विभागीय परीक्षा द्वारा भरा जाएगा। 13. समान अवसर प्रदान करने, अधिकारों की सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी से संबंधित कानून को दिव्यांग अधिनियम, 1995 द्वारा संहिताबद्ध किया गया था। पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 का अध्याय VI, जिसका शीर्षक 'रोजगार' है, जिसमें धारा 32 से 41 तक शामिल हैं, अन्य बातों के साथ-साथ उन पदों की अनिवार्य पहचान जो नियुक्ति के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं, आरक्षण की सीमा और भर्ती के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। महत्वपूर्ण रूप से, अध्याय VI में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था जो धारा 2 के खंड (जे) और (के) में परिभाषित 'नियोक्ता' या 'प्रतिष्ठान' को अनिवार्य करता हो, ताकि फीडर संवर्ग में सेवारत विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति के लिए किसी भी प्रतिशत पद को आरक्षित किया जा सके। तथापि, धारा 47 की उप-धारा (2) में 'गैर-भेदभाव' शीर्षक वाले अध्याय VIII में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी अक्षमता के आधार पर किसी भी पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। अध्याय VIII के तहत धारा 44 से 47 में यह परिकल्पना की गई है कि विकलांग व्यक्तियों को उसमें निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में किसी भी भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए, जिसमें धारा 47 विशेष रूप से सरकारी रोजगार में गैर-भेदभाव से संबंधित है। यह सच है कि धारा 47 की उप-धारा (2) में ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसमें नियोक्ता या प्रतिष्ठान को पदोन्नति पदों में आरक्षण देने की आवश्यकता होती है; इसके विपरीत, यह नियोक्ता या प्रतिष्ठान के लिए एक आदेश है कि

केवल इसलिए कि कोई कर्मचारी विकलांग है, जैसा कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 2 (i) में परिभाषित किया गया है, उसे पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

14. हालाँकि, यह देखा गया है कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के अधिनियमित होने से पहले ही, डीओपीटी द्वारा 20 नवंबर, 1989 को ओ. एम. जारी किया गया था, जिसके तहत आरक्षण पदोन्नति (i) समूह 'डी' के भीतर, (ii) समूह 'डी' से समूह 'सी' में और (iii) समूह 'सी' के भीतर 'शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों' की तीन श्रेणियों में, अर्थात् दृष्टिबाधित, श्रवण विकलांग और हड्डी से विकलांग,

जी.

एच.

792

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

अनुमति है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की तीन श्रेणियों में से प्रत्येक को 1 (एक) प्रतिशत पर आरक्षण की अनुमति दी जाएगी और आरक्षण की प्रयोज्यता उन पदों पर की जा रही पदोन्नति तक सीमित होगी जिनकी पहचान शारीरिक रूप से विकलांगों की उपयुक्त श्रेणी द्वारा भरे जाने/रखे जाने में सक्षम होने के रूप में की गई है।

15. पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के आगमन और 29 दिसंबर, 2005 को ओ. एम. जारी करने की अवधि के दौरान, डी. ओ. पी. टी. ने 18 फरवरी, 1997, 16 जनवरी, 1998 और 25 अक्टूबर, 2022 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया। हमें उक्त कार्यालय के ज्ञापनों पर किसी भी बड़े विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय उनके माध्यम से चलने वाले सामान्य धागे का उल्लेख करने के, यानी डीओपीटी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का लाभ बनाने की मांग की, भले ही उस प्रभाव के लिए एक स्पष्ट विधायी जनादेश था या नहीं, वास्तव में कुछ लोगों के लिए एक धूसर क्षेत्र था। इसके बावजूद, दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी प्रदान करना है और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों और असुविधाओं को देखते हुए, डीओपीटी की पहल कम से कम समूह 'सी' और समूह 'डी' पदों पर उनके लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करना वास्तव में सही दिशा में एक कदम था।

ग

डी.

16. जो भी हो, दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 के अध्याय VI में विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की आवश्यकता वाले एक स्पष्ट जनादेश की अनुपस्थिति का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता था कि उपयुक्त सरकार धारा 33 के खंड (i) से (iii) का उत्तर देने वालों के लिए पदोन्नति पदों पर आरक्षित रिक्तियों को नहीं रखने के लिए बाध्य है। हालाँकि धारा 33 में उपयोग की गई भाषा थोड़ी सी उलझन को स्वीकार कर सकती है, लेकिन वहाँ के महत्वपूर्ण शब्द "प्रत्येक प्रतिष्ठान में नियुक्त होंगे"। व्याख्या में, इसका तात्पर्य यह है कि जब उपयुक्त सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में नियुक्ति कर रही है, तो उसे विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए कम से कम 3 (तीन) प्रतिशत रिक्तियाँ आरक्षित रखनी चाहिए, जिनमें से प्रत्येक 1 (एक) प्रतिशत खंडों में उल्लिखित प्रकृति के विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, यानी, (i) अंधापन या कम दृष्टि, (ii) श्रवण

हानि, और (iii) गति विकलांग या मस्तिष्क पक्षाघात, और यह नियुक्ति उक्त खंडों में उल्लिखित प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों पर की जाएगी। छूट की अनुमति देने वाला परंतुक वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं है, इसलिए इसके प्रभाव पर विचार नहीं किया जाता है। अतः यह वैधानिक कर्तव्य है।

ई.

च

जी.

एच.

793

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस. v. ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्त, जे।] ए.

धारा 33 द्वारा आदेश दिया गया है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए जो 3 (तीन) प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक विकलांगता के लिए चिन्हित पदों पर उपलब्ध न्यूनतम 1 (एक) प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित किया जाना चाहिए। यह भ्रम, हमारे विचार से, "नियुक्ति" शब्द की संकीर्ण व्याख्या से उत्पन्न हुआ होगा, यह महसूस किए बिना कि "पदोन्नति" भी "नियुक्ति" के भीतर शामिल है। "नियुक्ति" शब्द काफी व्यापक है और इसमें "प्रत्यक्ष भर्ती" के साथ-साथ "पदोन्नति" के माध्यम से नियुक्ति भी शामिल है। राजीव कुमार गुप्ता (ऊपर) से पहले, पदोन्नति में आरक्षण के पहलू पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। राजीव कुमार गुप्ता (ऊपर) द्वारा की गई पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 33 की व्याख्या सिद्धाराजू (ऊपर) में इसकी प्रतिध्वनि पाती है। 17. हमने देखा है कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 स्पष्ट रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति पदों पर आरक्षण के लाभ उपलब्ध कराता है जिसमें धारा 34 का पहला परंतुक आदेश देता है कि पदोन्नति में आरक्षण ऐसे निर्देशों के अनुसार होगा जो उपयुक्त सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर कानून सिद्धाराजू (उपरोक्त) द्वारा घोषित किया गया है और भारत सरकार ने ऊपर उल्लिखित 28 सितंबर, 2021 के इस न्यायालय के आदेश को लागू किया है और 17 मई, 2022 को ओ. एम. जारी किया है, जो पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 34 के पहले परंतुक द्वारा विचार किए गए "निर्देशों" का गठन करता है। इस तरह के निर्देशों में निम्नतम श्रेणी में समूह-'ए' में पदों पर पदोन्नति में आरक्षण पर विचार किया गया है।

ग

डी.

ई.

18. जब विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 और पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों की तुलना की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि पूर्व में जो निहित था, वह बाद वाले द्वारा स्पष्ट किया गया है।

च

19. यह विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में कानून की स्थिति का व्यापक अवलोकन है, जैसा कि आज है। आर. बी. आई. के स्वयं के बारे में तर्क:

जी.

20. आर. बी. आई. द्वारा प्रस्तुत अपील के समर्थन में पेश होते हुए वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने निर्देश देने में गलती की है। उनके अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पदोन्नति को केवल समूह 'सी' पदों और समूह 'डी' पदों के भीतर प्रतिबंधित कर दिया, और समूह 'ए' पदों में पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा ओ. एम. दिनांक 29 तारीख

एच.

794

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

3 दिसंबर, 2013 के ओ. एम. द्वारा इसके संशोधन के बावजूद श्री नायर द्वारा दावा की गई प्रकृति का कोई लाभ श्री नायर द्वारा निर्भर दिसंबर, 2005 ने नहीं दिया। इस प्रकार, परिपत्रों को जिस भी दृष्टिकोण से देखा जाए, श्री नायर की शिकायत का समाधान करने के लिए उन्हें 29 दिसंबर, 2005 को ओ. एम. जारी करने की तारीख से पदोन्नति के लिए उपयुक्त मानते हुए, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था, की मांग नहीं की गई थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भारत सरकार द्वारा 17 मई, 2022 को ओ. एम. जारी करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 दिसंबर, 2022 का परिपत्र भी जारी किया है, जिसमें समूह 'ए' पदों में आवश्यक रिक्तियों को भी विकलांग व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए आरक्षित किया गया है। 8 दिसंबर, 2022 के इस परिपत्र में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर विकलांग व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया गया है।

ग

21. यद्यपि श्री गुप्ता ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि अंकों में कमी की माफी का लाभ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है, उन्होंने कहा कि श्री नायर जैसे विकलांग व्यक्तियों को यह रियायत नहीं दी जा सकती थी क्योंकि उनके जैसे व्यक्तियों के लिए समूह 'ए' पदों में रिक्तियों को आरक्षित करने के लिए कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया था, इसलिए श्री नायर इससे होने वाले किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकते थे।

डी.

22. भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 19 जनवरी, 2023 को दायर एक "अतिरिक्त शपथ पत्र" का उल्लेख करते हुए, श्री गुप्ता ने तर्क दिया कि 21 सितंबर, 2022 के परिपत्र के माध्यम से, सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' के पद पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए एक विभागीय परीक्षा 10 दिसंबर, 2022 को निर्धारित की गई थी और इसके लिए इच्छा 30 सितंबर, 2022 तक आमंत्रित की गई थी; हालाँकि, श्री नायर ने ऐसी परीक्षा में भाग नहीं लेने का फैसला किया। श्री नायर, यह तर्क दिया गया था कि उनकी उम्मीदवारी की पेशकश नहीं करने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक पदोन्नति के लिए उनके प्रदर्शन का आकलन करने में अक्षम था। श्री गुप्ता, इस प्रकार, आग्रह किया कि श्री नायर को अवसर देने के बाद, शिकायत करने के लिए नहीं सुना जा सकता है; हालाँकि, यदि श्री नायर पदोन्नति की कवायद में भाग लेना चाहते हैं, तो जब आगे आयोजित किया जाएगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक मौजूदा प्रावधानों के संदर्भ में उनकी उम्मीदवारी पर विचार करेगा।

ई.

च

23. श्री गुप्ता ने इस प्रकार प्रार्थना की कि भारतीय रिजर्व बैंक की अपील को उनका उपरोक्त बयान दर्ज करने से निपटा दिया जाए।

भारत सरकार के स्वयं के बारे में तर्क:

जी.

24. भारत सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान ने 17 मई, 2022 को ओ. एम. रखा और तर्क दिया कि इस न्यायालय के समय-समय पर दिए गए आदेशों के अनुसार और विशेष रूप से 28 सितंबर, 2021 (ऊपर) के आदेश के बाद, ए.

एच.

795

समूह 'बी' में पदों से लेकर समूह 'ए' में सबसे निचले पायदान तक के विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण उन कैडरों में लागू होगा जिनमें सीधी भर्ती का तत्व, यदि कोई हो, 75 प्रतिशत से अधिक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि समूह 'ए' में पदोन्नति नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट पद की पहचान नहीं की गई थी जब श्री नायर ने प्रक्रिया में भाग लिया था और यह भी कि अंकों में कमी को केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में ही माफ किया जा सकता है, इस तथ्य के साथ कि श्री नायर ने हाल की पदोन्नति प्रक्रिया से दूर रहने के लिए चुना, विवादित निर्णय में दिए गए निर्देश और आदेश कि 29 दिसंबर, 2005 के ओ. एम. के अनुच्छेद 14 को दिनांक 8 दिसंबर, 2013 के ओ. एम. द्वारा संशोधित किए जाने के बाद से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, इसे बनाए रखने का आह्वान न करें। तदनुसार, वह भी श्री गुप्ता के साथ इस आग्रह में शामिल हुई कि जब भी श्री नायर को नई प्रक्रिया में भाग लेने की स्वतंत्रता दी जाए, तो भारत सरकार की अपील का निपटारा किया जाए।

ग

25. अपने तर्क के बीच, सुश्री दीवान सिद्धाराजू (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा बताए गए कानून के बारे में कुछ आपत्तियां व्यक्त करने की कगार पर थीं। हालांकि, निर्णय अंतिम हो जाने और डी. ओ. पी. टी. ने भी उसके संदर्भ में कार्रवाई करने के बाद, हमने उस संबंध में उसे आगे कोई तर्क देने की अनुमति देना उचित नहीं समझा। श्री एन. ए. आई. आर. के स्वयं पर तर्क:

डी.

26. श्री नायर का प्रतिनिधित्व करते हुए, विद्वान वकील श्री के. मोहन ने समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों/कार्यालय ज्ञापनों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति पदों पर कुछ रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित मामलों में इस न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। इस पर भरोसा करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि श्री नायर को एक कच्चा सौदा दिया गया है।

ई.

च

27. 18 फरवरी, 1997 का ओ. एम. और 16 जनवरी, 1998 का शुद्धिपत्र श्री मोहन द्वारा रखा गया था। उनके अनुसार, इसके एक संयुक्त अध्ययन से इस बात में कोई संदेह नहीं होगा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की मौजूदा नीति, जिसमें सभी समूहों में पदोन्नति में "शारीरिक रूप से विकलांग" शामिल हैं, उन सभी श्रेणियों और सेवाओं पर लागू होती है जहां सीधी भर्ती की सीमा प्रति वर्ग 75 (पचहत्तर) से अधिक नहीं है।

जी.

प्रतिशत; और यह कि "आरक्षण की मौजूदा नीति" स्पष्ट रूप से होगी

एससी/एसटी के लिए अनुग्रह अंकों का प्रावधान शामिल करें। 28. इन अपीलों के संबंध में दायर श्री नायर के जवाबी हलफनामे का उल्लेख करते हुए, श्री मोहन ने हमारा ध्यान 18 अक्टूबर, 2006 को बैंकिंग प्रभाग, वित्त विभाग द्वारा जारी एक पत्र की ओर आकर्षित किया।

एच.

796

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

आर्थिक मामले, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक को "रियायत और छूट" विषय पर संबोधित किया।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान विकलांग व्यक्तियों को छूट

उनकी ऊर्ध्वाधर श्रेणियों में से "। यह दिखाया गया कि इस विषय पर विकलांग आयुक्त से प्राप्त एक संदर्भ पर, राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बराबर विकलांग व्यक्तियों के लिए परीक्षा शुल्क में रियायत और अंकों के न्यूनतम प्रतिशत में छूट देने का निर्णय लिया गया था। 19 मार्च को इस न्यायालय का एक आदेश,

2002 ए. आई. कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. 9.

सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच उनकी ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के बावजूद समानता लाने के लिए भारत सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए भी संदर्भित किया गया था। तदनुसार, उचित कार्रवाई के लिए निर्देशों को नोट करने के लिए आर. बी. आई. सहित पता लगाने वालों से अनुरोध किया गया था।

ग

29. इस पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए, श्री मोहन ने तर्क दिया कि 5 जुलाई, 2000 के परिपत्र, मास्टर सर्कुलर और 18 अक्टूबर, 2006 के संचार के अस्तित्व के बावजूद, विकलांग व्यक्तियों के साथ एससी/एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के समान व्यवहार करने और उन्हें उपलब्ध कराए गए अनुग्रह अंक देने से भारतीय रिजर्व बैंक का इनकार न केवल पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के प्रावधानों द्वारा गारंटीकृत "समान अवसर, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी" के अधिकारों से वंचित करने के बराबर है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित घोर भेदभाव के बराबर भी है। 30. लीसम्मा जोसेफ (उपरोक्त) मामले में निर्णय की ओर हमारा स्पष्ट ध्यान आकर्षित करते हुए, श्री मोहन ने तर्क दिया कि इस न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनौती दी गई थी, जिसने केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को उलट दिया और न केवल प्रतिवादी के पदोन्नति के दावे को बरकरार रखा, हालांकि प्रतिवादी की प्रारंभिक प्रविष्टि अनुकंपा के आधार पर थी, न कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद पर, बल्कि प्रतिवादी द्वारा प्राप्त वित्तीय लाभों को बाधित नहीं किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस न्यायालय ने विवादित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने के बाद भी इस मुद्दे की जांच की कि क्या विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के तहत पदोन्नति के अधिकार का दावा कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मुद्दे समान प्रकृति के अन्य मामलों में उत्पन्न होने की संभावना है, और इसका सकारात्मक जवाब दिया।

डी.

ई.

च

जी.

31. श्री मोहन ने इन अपीलों पर दर्ज 20 फरवरी, 2020 के एक आदेश की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। इस तरह के आदेश में श्री नायर की ओर से उनके द्वारा दिए गए निवेदन पर ध्यान दिया गया कि "

9 डब्ल्यू. पी. (सी) No.115/1998 ए

एच.

797

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्त, जे।] ए.

विकलांग व्यक्तियों का पक्ष सीधे अधिनियम के प्रावधानों से आता है और अधिकार का स्रोत ओ. एम. नहीं है, बल्कि स्वयं अधिनियम के प्रावधान हैं। और इस प्रकार ओ. एम. किसी भी मामले में अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षण की प्रयोज्यता को सीमित नहीं कर सकता है। श्री.

मोहन ने हमारे सामने इस तरह की दलील को दोहराया और कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले और आदेश में दिए गए निर्देशों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

इस न्यायालय से पहले की प्रक्रियाएँ:

32. 19 जनवरी, 2023 को पक्षों को सुनने के बाद, हमने अपील करने के लिए विशेष अनुमति दी थी और निर्णय सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान, श्री गुप्ता ने "आगे का हलफनामा" दायर करने के लिए अनुमति मांगी थी, जिसकी हमने मौखिक रूप से अनुमति दी थी। इस तरह का एक हलफनामा 30 जनवरी, 2023 को प्रस्तुत किए जाने के बाद, हमने श्री मोहन को इसकी सामग्री पर गौर करने की अनुमति दी और श्री नायर की ओर से की गई प्रार्थना पर, हमने 31 जनवरी, 2023 के आदेश द्वारा जवाब दाखिल करने की भी अनुमति दी। इसके अनुसार, श्री नायर द्वारा 7 फरवरी, 2023 को एक "जवाब में सामान्य शपथ पत्र" दायर किया गया है और इसे रिकॉर्ड में लिया गया है।

ग

डी.

आर. बी. आई. की अतिरिक्त उपलब्धियाँ: 33. इन अपीलों पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद हमने रिजर्व बैंक और श्री नायर द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामों को पढ़ा है। आर. बी. आई. ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में जिन बिंदुओं का आग्रह किया है, उन्हें दोहराया गया है, जिन्हें हमने ऊपर देखा है। इसके अलावा, 19 जनवरी, 2023 के 'अतिरिक्त शपथ पत्र' के पैराग्राफ 3-7 और भारतीय रिजर्व बैंक के 30 जनवरी, 2023 के 'आगे के शपथ पत्र' के अवलोकन से पता चलता है कि भारत सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2021 (ऊपर) के आदेश में निहित निर्देशों के अनुसरण में दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 की धारा 34 के तहत 'पदोन्नति में आरक्षण' पर निर्देश जारी किए गए थे और यह कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 08 दिसंबर, 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से इसे अपने लिए अपनाया है; कि उपरोक्त निर्देशों पर विचार करते हुए, पैनल वर्ष 2022 के लिए आयोजित परीक्षाओं के संबंध में 8 दिसंबर, 2022 के परिपत्र के माध्यम से, 16 (सोलह) रिक्तियाँ विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित थीं और हालांकि अंतिम तिथि थी। प्रबंधक ग्रेड 'ए' पद में बदलाव हुए हैं और भारतीय रिजर्व बैंक और कर्मचारी संघ के बीच समझौता ज्ञापन (एम. ओ. एस.) को संशोधित योग्यता मानदंड 2013 से लागू किया गया है।

ई.

च

जी.

एच.

798

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्न -34. हमने देखा है कि अपीलों में, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने कानून के 3 (तीन) प्रश्न उठाए हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। संक्षेप में, प्रश्न सामान्य हैं लेकिन स्पष्ट रूप से अलग-अलग शब्दों वाले हैं और एक ही क्रम में नहीं हैं। मामले को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, अपीलकर्ताओं ने अनिवार्य रूप से निम्नलिखित प्रश्नों के नकारात्मक उत्तर मांगे हैं:

(i) क्या 3 दिसंबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन के पैराग्राफ 5 द्वारा 29 दिसंबर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन के पैराग्राफ 14 में किए गए संशोधन को 29 दिसंबर, 2005 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना है?

ग

(ii) क्या उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना उचित ठहराया था कि भारतीय रिजर्व बैंक को समूह 'ए' और समूह 'बी' पदों के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करना है?

और

डी.

(iii) क्या उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित है कि निर्णय

विकलांगों के विकास के राष्ट्रीय परिसंघ (ऊपर)

क्या यह वर्तमान मामले में लागू होता है? विश्लेषण और निर्णय:

35. इन अपीलों को प्रस्तुत करने वाले तथ्यों के विवरण को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों की ओर से बार में पेश की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों और उपयुक्त सरकार के तहत या पदोन्नति के मामलों में किसी प्रतिष्ठान में रोजगार में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा कानून के स्पष्टीकरण के आलोक में, हमारी यह सुविचारित राय है कि उपरोक्त 3 (तीन) प्रश्नों को विशुद्ध रूप से अकादमिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। हम इसके लिए अपने कारणों को संक्षेप में बता सकते हैं।

ई.

च

36. राजीव कुमार गुप्ता (उपरोक्त) मामले में निर्णय ने डीओपीटी द्वारा 18 फरवरी, 1997 और 29 दिसंबर, 2005 को जारी किए गए विवादित कार्यालय ज्ञापन की वैधता पर विचार किया, जिसमें समूह 'ए' और 'बी' में आने वाले चिन्हित पदों में 3 (तीन) प्रतिशत आरक्षण के वैधानिक लाभ से वंचित, विकलांग प्रसार भारती के कर्मचारियों को वंचित किया गया था। संविधान पीठ के आधार पर उत्तरदाताओं द्वारा उठाया गया तर्क

जी.

इंद्र साहनी बनाम भारत संघ 10 में निर्णय, कि नहीं हो सकता है

10 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217 ए

एच.

799

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्त, जे।] ए.

समूह 'ए' और 'बी' के चिन्हित पदों पर पदोन्नति में आरक्षण को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि इस तरह का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के दायरे में आने वाले नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण के संदर्भ में उत्पन्न हुआ था। अंततः, यह पैराग्राफ 24 और 25 में इस प्रकार आयोजित किया गया था:

“24. 1995 के अधिनियम की धारा 32 और 33 का संयुक्त अध्ययन पीडब्ल्यूडी को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रशासन की आवश्यकताओं और अनिवार्यता के बीच एक ठीक और परिकल्पित संतुलन की व्याख्या करता है। इसलिए, जैसा कि हमारे विश्लेषण के पहले भाग में विस्तृत है, धारा 32 के तहत पहचान अभ्यास महत्वपूर्ण है। एक बार किसी पद की पहचान हो जाने के बाद, इसका मतलब है कि पीडब्ल्यूडी चिन्हित पद से जुड़े कार्यों को करने में पूरी तरह से सक्षम है। एक बार इतना सक्षम पाए जाने के बाद, धारा 33 के तहत तीन प्रतिशत से कम की सीमा तक आरक्षण का पालन करना चाहिए। एक बार पद की पहचान हो जाने के बाद, यह पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित होना चाहिए, चाहे उक्त पद को भरने के लिए राज्य द्वारा भर्ती का कोई भी तरीका अपनाया गया हो।

ग

डी.

25. पूर्ववर्ती विश्लेषण के आलोक में, हम विवादित ज्ञापनों को अवैध और 1995 के अधिनियम के साथ असंगत घोषित करते हैं। हम सरकार को आगे निर्देश देते हैं कि समूह ए और समूह बी में सभी चिन्हित पदों में पीडब्ल्यूडी को तीन प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, चाहे ऐसे पदों को भरने का कोई भी तरीका हो। इस रिट याचिका की तदनुसार अनुमति है।"

ई.

37. राजीव कुमार गुप्ता (ऊपर) में व्यक्त विचार पर इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा संदेह किया गया था। यह मत व्यक्त करते हुए कि विकलांग व्यक्तियों के लिए तरजीही व्यवहार में नियुक्ति में आरक्षण शामिल हो सकता है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण नहीं, उक्त पीठ ने 3 फरवरी, 2017 के अपने आदेश में कहा कि इस तर्क पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

च

38. सिद्धाराजू (ऊपर) वृहत न्यायपीठ का निर्णय है जिसमें कहा गया है कि राजीव कुमार गुप्ता (ऊपर) के निर्णय को दोष नहीं दिया जा सकता है जब यह कहा गया है कि इंद्र साहनी (ऊपर) एक अलग समस्या से निपटते हैं और इसका पालन नहीं किया जा सकता है।

जी.

39. लीसाम्मा जोसेफ (सुप्रा), जो एक ही मुद्दे पर निर्णयों की पंक्ति में नवीनतम है, एक अलग तर्क पर आधारित होने के बावजूद इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंची है।

एच.

800

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

40. इसलिए, इस प्रस्ताव के लिए अधिकार की कोई कमी नहीं है कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 ने न केवल नियुक्ति में आरक्षण को अनिवार्य किया, बल्कि पदोन्नति में आरक्षण पर भी विचार किया।

41. संयोग से, हमने अपना कारण भी बताया है कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 33 के बारे में पदोन्नति में आरक्षण पर विचार नहीं करना गलत और गलत क्यों है। 42. इस न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णयों में जो कुछ निर्धारित किया गया है और हमारे (ऊपर) द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं द्वारा आग्रह किए गए 3 (तीन) प्रश्नों के हमारे विशिष्ट उत्तर ये हैं। ओ. एम. दिनांक 29 दिसंबर, 2005 को राजीव कुमार गुप्ता (उपरोक्त) में अलग रखे जाने के बाद, पहला प्रश्न इस बात पर विचार करने से बच नहीं पाता है कि क्या ओ. एम. दिनांक 8 दिसंबर, 2013 द्वारा लाए गए पैराग्राफ 14 का संशोधन पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। इसके अलावा, राजीव कुमार गुप्ता (ऊपर) ने भारत सरकार को समूह 'ए' और समूह 'बी' में सभी चिन्हित पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 (तीन) प्रतिशत आरक्षण का विस्तार करने का निर्देश दिया, चाहे ऐसे पदों को भरने का तरीका कुछ भी हो (हमारा जोर), और सिद्धाराजू (ऊपर) में बड़ी पीठ ने इस तरह के निर्णय को अपनी मंजूरी की मुहर दे दी है, दूसरे प्रश्न का भी अपीलार्थियों के खिलाफ स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया है। अंत में, यह सवाल कि क्या उच्च न्यायालय राष्ट्रीय परिसंघ पर भरोसा करने में सही था

ग

डी.

विकलांगों का विकास (ऊपर दिया गया) अब समग्र नहीं है।

इस न्यायालय के कई निर्णयों के लिए इस स्थिति की पुष्टि करते हुए कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 33 में उल्लिखित आरक्षण में उल्लिखित 3 (तीन) प्रकार की अक्षमताओं में से प्रत्येक के लिए पहचाने गए सभी पद शामिल हैं और यह समूह 'सी' और समूह 'डी' पदों तक ही सीमित नहीं है। हम उसमें लिए गए दृष्टिकोण को साझा करते हैं।

ई.

43. इस प्रकार और बदली हुई परिस्थितियों में, हमें दो अन्य प्रश्नों का निर्णय करने का काम सौंपा गया है, अर्थात्:

च

(क) क्या आर. बी. आई. श्री नायर को पदोन्नति के लिए विचार करने में विफल रहा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा गारंटीकृत एक अधिकार है, जो कि शिथिल मानकों को लागू करने पर अवैध है?

जी.

और

(ख) बशर्ते कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक हो, श्री नायर को वैध रूप से किस हद तक राहत दी जा सकती है?

एच.

801

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस. v. ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्त, जे।] ए.

क.

44. उपरोक्त प्रश्नों के हमारे उत्तर देश के सर्वोच्च कानून के संक्षिप्त संदर्भ द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में संकल्प और उसके भाग IV के प्रावधानों को प्रासंगिक माना जाता है। हमारा प्रारंभिक वादा सभी के लिए 'सामाजिक न्याय' सुनिश्चित करना है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, हालांकि लागू करने योग्य नहीं हैं,

अनुच्छेद 37 में घोषित किया गया है "शासन में मौलिक

देश और राज्य का कर्तव्य है कि वे कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करें। तत्काल अगला अनुच्छेद राज्य को आदेश देता है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा और स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 राज्य से अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, विकलांग होने के मामलों में काम करने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने की अपेक्षा करता है। हम जिस समाज में रहते हैं, जो वास्तव में वर्ग-ग्रस्त है, 'सामाजिक न्याय' का अर्थ समाज के कमजोर और गरीब वर्ग के लिए न्याय होना चाहिए, विशेष रूप से जब राष्ट्र के लोगों ने 'स्थिति और अवसर की समानता' को सुरक्षित करने के लिए प्रस्तावना में संकल्प लिया है। अंतर्निहित विचार यह है कि कमजोर और गरीब वर्ग को न्याय दिलाना उन्हें बाकी समाज के बराबर बना सकता है। ऐसे मामले में जहां कमजोर वर्ग मजबूत वर्ग के साथ लड़ाई में शामिल है और 'सामाजिक न्याय' प्राप्त करने की चुनौती का सामना करने के लिए तराजू समान हैं, कानून के न्यायालयों को पहले वाले के पक्ष में झुकना चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। यदि विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में समान अवसरों, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी के कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों का नुकसान अनिवार्य रूप से संवैधानिक आदर्शवाद और मानवाधिकारों के सम्मान के साथ-साथ वंचितों की अत्यधिक मानसिक पीड़ा और पीड़ा का कारण बनता है। जहाँ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, वहाँ अदालतों को मूक और मूक नहीं रहना चाहिए। किसी भी अदालत को, इस अदालत को छोड़कर, नियोक्ताओं/प्रतिष्ठानों द्वारा अवैध मार्ग पर चलने से उत्पन्न उल्लंघनों और उल्लंघनों को माफ नहीं करना चाहिए। 45. यह ध्यान दिया जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय रिजर्व बैंक का कथन था कि विकलांग व्यक्तियों के लिए ग्रेड-'ए' में पदोन्नति पदों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए श्री नायर को आरक्षित रिक्ति पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकता है। यह वास्तव में स्पष्ट कारण था जिसके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए

उपलब्ध मूल्यांकन के आसान मानकों को श्री नायर के लिए विकलांग व्यक्तियों तक नहीं बढ़ाया गया था। दूसरे शब्दों में, श्री नायर का दावा

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

802

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्ति पर पदोन्नति, शिथिल मानकों के आवेदन पर, किसी भी चिन्हित समूह 'ए' पद के अभाव में विचार नहीं किया जा सकता था। कि उपयुक्त सरकार को समूह 'ए' और समूह 'बी' के चिन्हित पदों में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के मामले में आरक्षण उपलब्ध कराना चाहिए, इस न्यायालय द्वारा रवि में निर्णायक और आधिकारिक रूप से निर्णय लिया गया था।

प्रकाश गुप्ता (ऊपर) और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड (ऊपर)

जब तक विवादित निर्णय और आदेश दिया गया था। यह स्थिति होने के कारण, कोई वैध तर्क नहीं दिया जा सकता था कि समूह- 'ए' पदों पर नियुक्ति के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण उपलब्ध नहीं है। जो बचा था वह यह था कि क्या समूह- 'ए' पदों पर पदोन्नति नियुक्ति के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण उपलब्ध है। राजीव कुमार गुप्ता (ऊपर), सिद्धाराजू (ऊपर) और लीसम्मा जोसेफ (ऊपर) ने भी इस मुद्दे को शांत किया है। इस प्रकार, श्री नायर के मार्ग में दो बड़ी बाधाएं इस न्यायालय द्वारा पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की व्यावहारिक और उचित व्याख्या के कारण दूर हो गई हैं।

ग

डी.

46. हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि जब श्री नायर ने पैनल वर्ष 2003 की परीक्षा में भाग लिया था, तो इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया था कि समूह 'ए' पदों के संबंध में पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति है। यह भी उतना ही सच है कि इस न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 32 और 33 की व्याख्या करते हुए अपने द्वारा निर्धारित कानून को संभावित अनुप्रयोग घोषित नहीं किया था। यह एक सिद्धांत है, कानून में अच्छी तरह से स्थापित, कि कानून के प्रावधान की व्याख्या कानून की तारीख से ही संबंधित है। यह अनिवार्य रूप से इस कारण से है कि न्यायालय का कर्तव्य कानून बनाना नहीं है, बल्कि कानून की व्याख्या करना है। हालाँकि, ऐसा सिद्धांत इस अपवाद के अधीन है कि यह न्यायालय, किसी दिए गए मामले में, घोषणा कर सकता है कि इसकी व्याख्या संभावित रूप से प्रभावी होगी। ऊपर उल्लिखित किसी भी निर्णय में इस न्यायालय का स्पष्ट इरादा यह नहीं है। यह कानूनी स्थिति होने के कारण, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री नायर को यह दावा करने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था कि समूह 'ए' पदों में पदोन्नति नियुक्ति में आरक्षण पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 में निहित है।

ई.

च

जी.

47. इस प्रकार, शेष बाधा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए लागू शिथिल मानकों के बराबर अंकों की कमी को माफ करने के संबंध में है। अब हम इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री नायर द्वारा 2003 में की गई परीक्षा से संबंधित 3 (तीन) अंकों की कमी को स्वीकार नहीं किया था ताकि उन्हें सुरक्षित पदोन्नति मिल सके।

एच.

803

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्त, जे।] ए.

क.

48. हमने 18 अक्टूबर, 2006 को बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संचार से नोट किया है कि यह ए. आई. नेत्रहीन परिसंघ (उपरोक्त) में 19 मार्च, 2002 के इस न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए एक अनुवर्ती कदम के रूप में सामने आया है। अन्यथा भी, विकलांग व्यक्तियों तक पहुँचने और उन्हें वे सुविधाएँ और लाभ प्रदान करने के लिए जो पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की परिकल्पना की गई थी, श्री नायर के लिए सामान्य उम्मीदवारों पर लागू होने वाले मानकों को लागू करना कठोर था, जबकि उन्होंने अपनी पदोन्नति हासिल करने के लिए ऐसे सामान्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा की। आर. बी. आई. को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में विकलांग व्यक्तियों की आकांक्षाओं के अनुरूप इस संबंध में एक सूचित निर्णय लेना चाहिए था।

ग

49. हमने श्री गुप्ता या सुश्री दीवान से कोई गंभीर तर्क नहीं सुना, और ठीक है, कि विकलांग व्यक्ति एससी/एसटी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी का आकलन करने के लिए लागू किए गए समान आराम से मानकों द्वारा न्याय किए जाने के हकदार नहीं हैं।

50. ऐसी परिस्थितियों में, श्री नायर को पदोन्नति पर समायोजित करने के लिए आरक्षण के लिए उपयुक्त समूह 'ए' पद की पहचान करने में लापरवाही के साथ-साथ अंकों में कमी को माफ करने में भारतीय रिजर्व बैंक की चूक या विफलता हमें अक्षम्य प्रतीत होती है।

डी.

51. प्रश्न (क) का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

52. प्रश्न (ख) पर विचार करते हुए, जब श्री नायर ने 2004 में सहायक प्रबंधक, ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा दी थी, तब इस न्यायालय ने समूह 'ए' पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति नियुक्तियों में आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की व्याख्या करते हुए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। पहली बार इसकी घोषणा तब की गई जब राजीव कुमार गुप्ता (ऊपर) मामले में निर्णय सुनाया गया था। क्या इन परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक को मूल्यांकन के मानकों में ढील देने और पूर्वव्यापी प्रभाव से श्री नायर को पदोन्नति देने का निर्देश दिया जाना चाहिए?

ई.

च

53. इस प्रश्न के उत्तर के लिए चुनौती के तहत आदेश में निहित परिचालन निर्देशों पर पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता होगी। उच्च न्यायालय ने जो कहा वह ऊपर उद्धृत किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने श्री नायर को पदोन्नति देने का निर्देश अनिवार्य रूप से नहीं दिया था। उच्च न्यायालय का फैसला, अनपेक्षित रूप से, आरक्षण नीति को लागू करने तक ही सीमित था। उच्च न्यायालय ने यह घोषणा नहीं की कि श्री नायर को पैनल परीक्षा 2003 के संदर्भ में अंकों में कमी को माफ करने का भी अधिकार होना चाहिए। जहाँ तक अन्य योग्यता आवश्यकताओं का संबंध है

जी.

संबंधित नियमों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि श्री नायर द्वारा ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रश्न पर कोई राय व्यक्त की है, यह नहीं समझा जा सकता है। आदेश की इस तरह की रूपरेखा को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए श्री नायर को पदोन्नति के लिए विचार करने और कानून के प्रचलित स्पष्टीकरण के अनुसार उन्हें पदोन्नति देने या अस्वीकार करने के लिए उचित आदेश पारित करने का अधिकार था। आर. बी. आई. ने आदेश का पालन करने के बजाय 12 सितंबर, 2014 को इस अदालत में निर्णय और आदेश पारित किया। भारत सरकार ने भी इसका अनुसरण किया। यह श्री नायर ही थे जो सीमा की अवधि के भीतर एक समीक्षा याचिका के साथ उच्च न्यायालय गए, जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष छुट्टी के लिए याचिका के लंबित होने को देखते हुए उनके अधिकारों को खुला रखा गया है। ऐसी स्थिति को देखते हुए, ऐसा लगता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दम पर उस असहज स्थिति को आमंत्रित किया है जिसमें वह अब खुद को पाता है। इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार किया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि जब उच्च न्यायालय ने अंततः श्री नायर की रिट याचिका का फैसला किया तो वे उपलब्ध नहीं थे। यदि उच्च न्यायालय के आदेश का समय पर पालन किया जाता तो शायद रिजर्व बैंक को इस पहली का सामना नहीं करना पड़ता।

ग

डी.

54. किसी भी स्थिति में, क्या भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार को इस न्यायालय का रुख करने के लिए बदतर होना चाहिए, इस तथ्य को देखते हुए कि 2003 की परीक्षा में भाग लेने के बाद श्री नायर ने उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित होने के बहाने आगे की परीक्षाओं से दूर रहने का फैसला किया है, और विवादित निर्णय और आदेश के बाद इस न्यायालय के फैसलों का प्रभाव भुगतना होगा? या, क्या अपीलों को खारिज कर दिया जाना चाहिए और इसे उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए रिजर्व बैंक के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए? हमारे विचार में, बिना किसी अवलोकन के बर्खास्तगी में आगे अनावश्यक मुकदमेबाजी पैदा करने की क्षमता है। साथ ही, हालांकि श्री नायर ने कोई प्रति-अपील दायर नहीं की थी, उन्होंने समीक्षा के लिए आवेदन किया था और इस न्यायालय द्वारा कार्यवाही के निपटारे के बाद उन्हें समीक्षा याचिका को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

ई.

च

55. हमारे समक्ष अभिलेख की सामग्री को ध्यान में रखते हुए और प्रश्न (ख) का उत्तर देने के लिए, अनुच्छेद 142 का आह्वान करना उचित माना जाता है।

इस उद्देश्य में "पूर्ण न्याय करने के लिए" संविधान का।

जी.

56. हम भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश देते हैं कि वह श्री नायर को सहायक प्रबंधक ग्रेड-'ए' के पद पर काल्पनिक पदोन्नति प्रदान करे, जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से प्रभावी होगी, यानी 27 सितंबर, 2006 और वास्तविक पदोन्नति 15 सितंबर, 2014 से, यानी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन की अंतिम तिथि। यह अभ्यास ए से 2 (दो) महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

एच.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस. v. ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्त, जे।]

तिथि. 15 सितंबर, 2014 से श्री नायर को प्राप्त होने वाले मौद्रिक लाभों की गणना की जाएगी और 4 (चार) महीने की तारीख तक जारी किए जाएंगे।

57. चूंकि श्री नायर के पास सेवानिवृत्ति पर अपनी सेवानिवृत्ति के लिए कुछ साल हैं, इसलिए यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि उनके सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में 27 सितंबर, 2006 से उनकी पदोन्नति को उचित सम्मान दिया जाएगा, जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है।

58. अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है। दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

ग

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. मुझे अपने विद्वान भाई न्यायाधीश, दीपांकर दत्ता, जे. के विस्तृत और विस्तृत तर्क को पढ़ने का लाभ मिला है। हालांकि मैं अपीलार्थी को दिए गए निष्कर्षों और राहत से सहमत हूं, मैं संविधान के अनुच्छेद 16 (4-ए) में शामिल लोगों के अलावा नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण के बड़े सवाल पर बहुत सावधानी के साथ कुछ टिप्पणियां दर्ज करना चाहता हूं।

डी.

1. प्रोत्साहनों में संरक्षण का इतिहास

2. पदोन्नति में आरक्षण का सवाल उलझा हुआ है।

इतिहास. महाप्रबंधक में, एस. आर. एल. वी. रंगाचारी 1, एक संविधान

ई.

एक 3 में बेंच: 2 निर्णय में कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति थी। वे केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि बाद में पदों का भी चयन किया गया था। 2 यह उस युग के दौरान दिया गया निर्णय था जब इस अदालत की अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) की समझ थी कि ऐसे प्रावधान अनुच्छेद 15 (1) और 16 (1) के तहत नियम के अपवाद थे। हालांकि, इस व्याख्या में एक बदलाव आया 3, के रूप में

च

केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस 4 में स्पष्ट किया गया, जिसमें के. के. मैथ्यू,

जे. ने विचार व्यक्त किया:

“यदि अनुच्छेद 16 (1) के तहत गारंटीकृत अवसर की समानता का अर्थ प्रभावी भौतिक समानता है, तो अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद नहीं है। यह केवल डालने का एक जोरदार तरीका है

जी.

1 महाप्रबंधक, एस. आर. एल. वी. रंगाचारी, (1962) 2 एस. सी. आर. 586।

2 आईडी., पैरा 27।

3 टी. देवदासन बनाम भारत संघ, (1964) 4 में जे. सुब्बा राव की असहमतिपूर्ण राय।

केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस, (1976) 2 एस. सी. सी. 310 में एस. सी. आर. 680 की पुष्टि की गई थी। 4 केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस, (1976) 2 एस. सी. सी. 310।

एच.

806 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

अवसर की समानता को किस हद तक ले जाया जा सकता है, यहाँ तक कि आरक्षण करने तक भी। "5

इंद्र साहनी बनाम भारत संघ 6 में, नौ-न्यायाधीशों का संविधान

इस व्याख्या से लैस पीठ ने पदोन्नति में आरक्षण के सवाल पर फिर से विचार किया। प्रश्न संख्या 7 को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था:

“क्या अनुच्छेद 16 मामले में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है

पदोन्नति?” नौ में से आठ न्यायाधीशों ने इस मुद्दे पर विचार किया और कहा कि रंगाचारी (ऊपर) में व्यक्त विचार गलत था, और पदोन्नति में आरक्षण अनुच्छेद 16 के तहत अस्वीकार्य था। 3. विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा अपनी राय में की गई टिप्पणियों को नीचे निकाला गया है:

ग

ए। पर कनिया, वेंकटचलैया और बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. जे.:

“828. हम 'जोखिम' को गुणा करने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं, जो इस धारणा का परिणाम होगा कि पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। यद्यपि यह निश्चित रूप से केवल यह कहना है कि प्रारंभिक नियुक्ति के स्तर पर नागरिकों के पिछड़े वर्ग को एक बाधा दी जानी चाहिए, यह कहना अवसर की समानता के नियम में एक गंभीर और अस्वीकार्य प्रवेश होगा कि इस तरह की बाधा को उनके पूरे करियर में पदोन्नति के हर स्तर पर प्रदान किया जाना चाहिए। इसका मतलब मुख्यधारा के अलावा एक स्थायी अलग श्रेणी का निर्माण होगा-प्रशासनिक तंत्र का एक ऊर्ध्वाधर विभाजन। आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों को दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल आपस में प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है। उनके बीच काम करने, प्रतिस्पर्धा करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की कोई इच्छाशक्ति नहीं होगी। चाहे वे काम करें या न करें, वे सोचते हैं कि उनकी पदोन्नति सुनिश्चित है। यह बदले में खुली प्रतिस्पर्धा के सदस्यों के बीच निराशा और 'दिल दहला देने' की भावना पैदा करने के लिए बाध्य है। यह सब प्रशासन की दक्षता को प्रभावित करना तय है। पिछड़े वर्गों के सदस्यों को फास्ट-ट्रैक पर रखने से अनिवार्य रूप से लीप-फ्रॉगिंग होगी और "लीप-फ्रॉगिंग" के हानिकारक प्रभावों को हमारे हाथों में उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। भर्ती के प्रारंभिक चरण में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण किया जा सकता है लेकिन

डी.

ई.

च

जी.

5 आइबीआइडी।, पैरा 78.

6 इंद्र साहनी बनाम भारत संघ, 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217।

एच.

807

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

एक बार जब वे सेवा में प्रवेश करते हैं, तो प्रशासन की दक्षता की मांग होती है कि ये सदस्य भी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें और अन्य सभी की तरह पदोन्नति अर्जित करें; उनके "जन्म-चिह्न" के संदर्भ में इसके बाद कोई अंतर नहीं किया जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों में से एक ने एक अन्य संबंध में कहा है। उनसे दूसरों के साथ समान आधार पर काम करने की उम्मीद की जाती है। बैसाखी किसी के पूरे करियर में प्रदान नहीं की जा सकती है। यह प्रशासन की दक्षता के हित में नहीं होगा और न ही राष्ट्र के व्यापक हित में होगा। यह सोचना गलत है कि ऐसा करके हम नागरिकों के पिछड़े वर्ग को सबसे निचले कैडर तक सीमित कर रहे हैं। यह सर्वविदित है कि सीधी भर्ती प्रशासन के कई उच्च स्तरों पर होती है न कि केवल चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के स्तर पर। अखिल भारतीय सेवाओं के स्तर पर भी सीधी भर्ती प्रदान की जाती है। जिला न्यायाधीशों के स्तर पर सीधी भर्ती प्रदान की जाती है, ताकि घर के पास एक उदाहरण दिया जा सके। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि संविधान सभा में बहस के दौरान, किसी ने भी पदोन्नति में आरक्षण का उल्लेख नहीं किया; ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनके विचार में नहीं था।

ग

डी.

831. हमें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि प्रशासन की दक्षता से समझौता किए बिना पदोन्नति के मामले में आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों को रियायतें और छूट देना राज्य के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा। थॉमस [(1976) 2 एस. सी. सी. 310,380 में संबंधित छूट: 1976 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 227: (1976) 1 एस. सी. आर. 906] और कर्मचारी संघ [(1981) 1 एस. सी. सी. 246,289 में इन-सर्विस कोचिंग/प्रशिक्षण के लिए रिक्तियों और प्रावधानों को आगे बढ़ाने के लिए रियायतें: 1981 एससीसी (एल एंड एस) 50: (1981) 2 एस. सी. आर. 185,234] इस तरह की रियायतों और छूटों के उदाहरण हैं। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों के लिए कम योग्यता अंक या मूल्यांकन का कम स्तर निर्धारित करने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि इससे प्रशासन की दक्षता से समझौता होगा। हम दोहराते हैं कि हालांकि ओ. बी. सी., एस. सी. के लिए उचित रूप से कम योग्यता अंक या मूल्यांकन निर्धारित करने की अनुमति हो सकती है

ई.

च

जी.

एच.

808 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

प्रशासन की कुशलता और संबंधित कार्यालय से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति के अनुरूप-प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में, इस तरह के पाठ्यक्रम की यहां ऊपर दर्ज कारणों से पदोन्नति के मामले में अनुमति नहीं होगी।"

ख. पांडियन, जे:

"240. मोहन कुमार सिंघानिया बनाम भारत संघ [1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 594: 1992 एससीसी (एल एंड एस) 455: (1992) 19 ए. टी. सी. 881] इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें मैं एक पक्षकार था, ने यह विचार रखा है कि एक बार जब आरक्षित समुदायों के उम्मीदवारों को उनके रैंक और प्रदर्शन के आधार पर किसी सेवा के लिए आवंटित और नियुक्त किया जाता है और उन्हें एक ही श्रेणी के तहत लाया जाता है, तो उन्हें भी अन्य सभी चयनित उम्मीदवारों के बराबर माना जाना चाहिए और उस स्तर पर इस आधार पर तरजीही व्यवहार का कोई सवाल नहीं हो सकता है कि वे आरक्षित समुदाय से संबंधित हैं, हालांकि वे आयु में छूट, आरक्षण आदि जैसे अन्य सभी वैधानिक लाभों के हकदार हो

सकते हैं। उस संदर्भ में निर्दिष्ट आरक्षण प्रारंभिक चरण में आरक्षण या प्रवेश बिंदु के लिए संदर्भित है जैसा कि उस निर्णय से एकत्र किया जा सकता है।"

ग

डी.

ई.

ग. थॉमसेन, जे:

"307. प्रारंभिक नियुक्तियाँ सेवा में पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों या श्रेणियों पर की जा सकती हैं। अनुच्छेद 16 (4) में 'नियुक्तियों या पदों के आरक्षण' शब्द से यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई वारंट नहीं है कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति तक ही नहीं, बल्कि पदोन्नति के हर चरण तक फैला हुआ है। एक बार किसी सेवा में नियुक्त होने के बाद, वेतन, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति लाभ आदि जैसी सेवा की शर्तों से संबंधित मामलों में कोई भी भेदभाव संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है, क्योंकि यह समानता, निष्पक्षता और न्याय का निषेध है।

च

जी.

309. पिछड़े वर्ग के किसी सदस्य को जिस भी पद पर नियुक्त किया जाता है, उसमें आरक्षण के प्रावधान उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के चरण में आकर्षित किए जाते हैं, न कि बाद में।

एच.

809

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

आगे की पदोन्नति संबंधित श्रेणी के सभी कर्मचारियों के लिए लागू सामान्य नियमों द्वारा शासित होनी चाहिए। निर्णयों में इसके विपरीत तर्क देना, जैसे कि महाप्रबंधक, एस. आर. एल. वी. रंगाचारी [(1962) 2 एससीआर 586:ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 36]; पंजाब राज्य बनाम हीरालाल [(1970) 3 एस. सी. सी. 567:(1971) 3 एस. सी. आर. 267]; अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) बनाम भारत संघ [(1981) 1 एस. सी. सी. 246,289:1981 एससीसी (एल एंड एस) 50:(1981) 2 एस. सी. आर. 185,234] संविधान की भाषा द्वारा समर्थनीय नहीं है।"

*****घ. कुलदिप सिंह, जे।

ग

"376. अनुच्छेद 16 (4) के तहत अनुमत आरक्षण केवल "नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में" हो सकता है न कि व्यक्तियों के लिए। अनुच्छेद 16 (1) एक व्यक्तिगत नागरिक के अधिकार की गारंटी देता है जबकि अनुच्छेद 16 (4) एक वर्ग के पक्ष में सुरक्षात्मक भेदभाव की अनुमति देता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर एक वर्ग को दिया जाना चाहिए न कि व्यक्तियों को। जब किसी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है तो समग्र रूप से 'पिछड़े वर्ग' को आरक्षित पदों के लिए विचार करने का अवसर दिया जाता है। उक्त वर्ग के प्रत्येक सदस्य को प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार है। लेकिन पदोन्नति की प्रक्रिया के बारे में ऐसा नहीं है। एक सामूहिकता के रूप में पिछड़ा वर्ग तस्वीर में कहीं भी नहीं है; केवल उन व्यक्तियों पर विचार किया जाता है, जो पहले ही आरक्षित पदों के खिलाफ सेवा में प्रवेश कर चुके हैं। राज्य सेवाओं के उच्च क्षेत्रों में कैडर की संख्या कम होने के कारण आरक्षित पद पर पदोन्नति के लिए बहुत कम या एक भी 'पिछड़े वर्ग' के उम्मीदवार पर विचार किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 (1) के तहत गारंटीकृत एक व्यक्तिगत नागरिक के अधिकार को केवल 'पिछड़े वर्ग' के लिए आरक्षण प्रदान करके कम किया जा सकता है, न कि पिछड़े व्यक्तियों के लिए। पदोन्नति के पद पिछड़े वर्ग को नहीं दिए जाते

हैं।केवल व्यक्तियों को ही लाभ होता है।अनुच्छेद 16 (4) का उद्देश्य, संदर्भ और सरल भाषा यह स्पष्ट करती है कि नौकरी में आरक्षण केवल सीधी भर्ती में किया जा सकता है, न कि जब उच्च पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है।"

डी.

ई.

च

जी.

एच.

810 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

ई. पी बी सावंत, जे

"540. हालाँकि, यदि प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक हो जाता है, तो यह मानना होगा कि अनुच्छेद 16 (1) और 16 (4) दोनों के तहत आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए।रंगचारी [(1962) 2 एस. सी. आर. 586 में निर्णय को छोड़कर:ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 36] इस न्यायालय के लिए इस प्रश्न पर विचार-विमर्श करने का कोई अन्य अवसर नहीं था।उस निर्णय में, संविधान पीठ ने तीन के बहुमत से यह विचार रखा कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण इस आधार पर पदोन्नति तक भी विस्तारित होगा कि अनुच्छेद 16 (1) और 16 (2) का उद्देश्य अनुच्छेद 14 और 15 (1) को प्रभावी बनाना है।इसलिए अनुच्छेद 16 (1) का अर्थ व्यापक और सामान्य रूप से लगाया जाना चाहिए, न कि पांडित्यपूर्ण और तकनीकी तरीके से।अतः, "रोजगार से संबंधित मामलों" का अर्थ केवल नियुक्ति के कार्य से पहले के मामले नहीं हो सकते हैं और न ही "किसी पद पर नियुक्ति" का अर्थ केवल प्रारंभिक नियुक्ति हो सकता है, लेकिन इसमें रोजगार से संबंधित सभी मामले भी शामिल होने चाहिए, जो या तो ऐसे रोजगार के लिए आकस्मिक हैं या इसके नियमों और शर्तों का हिस्सा हैं, और इसमें चयन पद पर पदोन्नति भी शामिल है।न्यायालय ने आगे कहा कि:(एस. सी. आर. शीर्षक पृष्ठ 587)

ग

डी.

"यद्यपि अनुच्छेद 16 (4), जो मूल रूप से अनुच्छेद 16 (1) और 16 (2) का एक अपवाद है और इसलिए इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए, न्यायालय इसका अर्थ यह नहीं लगा सकता है कि नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए संविधान द्वारा दिखाए गए अत्यधिक आग्रह की अनदेखी की जाए।अनुच्छेद 16 (4) का दायरा, हालांकि अनुच्छेद 16 (1) और (2) जितना व्यापक नहीं है, और वेतन, वृद्धि, उपदान, पेंशन और सेवानिवृत्ति की आयु जैसे रोजगार से संबंधित कुछ मामले इसके गैर-अस्थायी खंड से बाहर होने चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इसमें सेवाओं में नियुक्तियां और पद शामिल होने चाहिए।'पद' शब्द पर एक संकीर्ण निर्माण करना उद्देश्य और अंतर्निहित नीति को हराना होगा।इसलिए अनुच्छेद 16 (4) राज्य को नियुक्तियों के साथ-साथ चयन पदों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए अधिकृत करता है।"

ई.

च

जी.

***** ए.

एच.

543. यह पहले बताया गया है कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत पिछड़े वर्गों के आरक्षण को प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के साथ लगातार बनाया जाना चाहिए। प्रशासन के परिणामों को नजरअंदाज करना मूर्खतापूर्ण है जब कनिष्ठ वरिष्ठों को पछाड़ देते हैं, हालांकि वरिष्ठ कनिष्ठों की तुलना में उतने ही या उससे भी अधिक सक्षम होते हैं। जब आरक्षण को पदोन्नति में रखा जाता है, तो अपरिहार्य परिणाम यह होता है कि कनिष्ठ, वरिष्ठता सूची में कितने भी कम क्यों न हों, अपने वरिष्ठों पर चढ़ाई करते हुए पदोन्नति के पद पर पहुँच जाते हैं। जब प्रत्येक प्रचार स्तर पर आगे आरक्षण रखा जाता है, तो कनिष्ठ न केवल एक ही श्रेणी में अपने वरिष्ठों पर चढ़ाई करते हैं, बल्कि एक से अधिक उच्च स्तर पर अपने वरिष्ठों पर भी चढ़ाई करते हैं। यह देखा गया है और अक्सर देखा जा रहा है जहां पदोन्नति में आरक्षण रखा जाता है। यह उम्मीद करना भोलापन है कि ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें हटा दिया गया है, (और वे कई हैं) वे समानता के साथ और काम में उसी समर्पण और रुचि के साथ काम कर सकते हैं जैसा कि उन्होंने पहले किया था। पुरुष संत नहीं हैं। प्रशासन के सभी क्षेत्रों में इस घटना का अपरिहार्य परिणाम स्वाभाविक आक्रोश, हृदय-दाह, हताशा, काम में रुचि की कमी और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, वरिष्ठों के प्रति अनादर, प्राधिकरण का अपमान और प्रशासन में निरंतर कलह और शत्रुता का वातावरण है। इसके अलावा, जब पूर्व अधीनस्थ वर्तमान श्रेष्ठ बन जाता है, तो वातावरण के विक्षेपण की केवल कल्पना की जानी चाहिए। इसका निश्चित रूप से पूरे प्रशासन पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।

ग

डी.

ई.

च

544. यह न केवल उन लोगों की दक्षता है जिन्हें इस तरह से हटा दिया जाता है जो इस तरह की पदोन्नति के कारण बिगड़ते हैं, बल्कि जिन्हें हटा दिया जाता है उन्हें काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कोई प्रोत्साहन भी नहीं मिलता है। चूंकि वे जानते हैं कि किसी भी मामले में उन्हें उनके आरक्षित कोटे में पदोन्नत किया जाएगा, इसलिए उनके पास कड़ी मेहनत करने की कोई प्रेरणा नहीं है। शुरू से ही पदोन्नति के बारे में आश्वस्त होने के कारण, अपने कर्तव्यों और अपने सहयोगियों और वरिष्ठों के प्रति उनका रवैया भी इस परिसर से रंगा हुआ है। इस कारण भी प्रशासन की कार्यकुशलता खतरे में पड़ जाती है।

जी.

एच.

812 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

545. इस संबंध में, न तो बहुमत और न ही संविधान पीठ में अल्पमत ने पदोन्नति में आरक्षण के इस पहलू पर ध्यान दिया है। बाद के निर्णय जो रंगाचारी [(1962) 2 एससीआर 586 के बाद आए: ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 36] को भी नहीं बुलाया गया था और इसलिए उन्होंने इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया है। बहुमत ने जिस दक्षता का उल्लेख किया है, वह उन लोगों की योग्यता के संबंध में है जिन्हें आरक्षित कोटे में पदोन्नत किया जाएगा।"

एफ. सहाय, जे.

"622. लेकिन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता केवल अधिकार क्षेत्र की रचनात्मकता है। यह पिछड़ेपन का पैमाना नहीं है। यही कारण है कि प्रवेश के बिंदु पर असमान वर्ग के बीच कम कठोर परीक्षा या कम अंक और प्रतिस्पर्धा को इस न्यायालय और अमेरिकी अदालतों दोनों द्वारा अनुमोदित किया गया है। लेकिन मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती होने वाले छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने में छूट नहीं दी जाती है। वास्तव में इसे कम प्रतिशत पर नस्लीय प्रवेश के लिए औचित्य प्रस्तुत करने वाले अमेरिकी निर्णयों में एक वैध आधार के रूप में समझाया गया है। तर्क यह प्रतीत होता है कि प्रवेश के स्रोत की परवाह किए बिना

सभी को एक ही परीक्षण के अधीन किया जाता है, न तो दक्षता प्रभावित होती है और न ही समानता बाधित होती है। सेवा में प्रवेश के बाद वर्ग एक होता है, कर्मचारियों का। अगर इसके बाद भी पिछड़ेपन के सामाजिक निशान को उठाया जाता है, तो बराबरी का पूरा उद्देश्य निराश हो जाता है। कर्मचारियों के बीच आगे कोई वर्गीकरण उचित नहीं होगा जैसा कि छात्रों के बीच नहीं किया जाता है।

ग

डी.

ई.

च

623. रक्षात्मक भेदभाव के लिए संवैधानिक, कानूनी या नैतिक आधार ऐतिहासिक अन्याय के लिए पहचान योग्य पिछड़े वर्ग का निवारण है। यानी वे आज हैं, जो वे पीड़ितों के लिए नहीं होते। इसका समाधान करना और दूसरों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को संतुलित करना संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन एक बार जब लाभान्वित और वंचित, तथाकथित आगे और पीछे, एक ही धारा में प्रवेश करते हैं तो अतीत का अन्याय दूर हो जाता है। और सेवा की अवधि, एक समूह के संवर्ग में वरिष्ठता, विशेष रूप से अग्र समूह के लिए, किसी भी ऐतिहासिक अन्याय या अनुचित लाभ अर्जित करने का परिणाम नहीं है

जी.

एच.

813

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अपने पूर्वजों या पिछड़े वर्ग के खिलाफ भेदभाव के कारण, लेकिन एक कर्मचारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सेवा के वर्षों के कारण। उत्पीड़न की अवधारणा को फिर से लाकर इस अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है।

624. समानता या तो सिद्धांतकारों द्वारा प्रचारित या अदालतों द्वारा लागू की गई समानता "स्थिति की समानता के तहत व्यवहार की समानता" द्वारा असमानता को दूर करने का प्रयास करती है [(1976) 2 एस. सी. सी. 310, 380:1976 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 227:(1976) 1 एससीआर 906]। लेकिन एक बार "कुछ व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए, हमें उनके साथ अलग व्यवहार करना चाहिए" [57 एल एड 2 डी 750:438 यू. एस. 265 (1978)] किया गया है और लाभान्वित और वंचितों को समान बनाया जाता है और उन्हें एक वर्ग या समूह में लाया जाता है, फिर समूह में लाए जाने से पहले मौजूद असमानता पर बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोई भी और लाभ समान रूप से समान व्यवहार करना होगा। यह पिछले भेदभाव के प्रभावों को समाप्त नहीं करेगा, बल्कि इसे कायम रखेगा।

ग

डी.

625. संवैधानिक मंजूरी पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। अर्थात् वर्ग या समूह हित को व्यक्ति की तुलना में प्राथमिकता दी गई है। लेकिन एक वर्ग या कर्मचारियों के समूह से पदोन्नति एक समूह या वर्ग को बढ़ावा नहीं दे रही है, बल्कि एक व्यक्ति को बढ़ावा दे रही है। यह एक दूसरे के खिलाफ है। कोई अग्रगामी वर्ग बनाम पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक के खिलाफ बहुमत नहीं। इस प्रकार यह संविधान के विपरीत होगा। भाई कुलदिप सिंह ने अच्छे और सही कारणों से सही राय दी है कि, रंगचारी [(1962) 2 एससीआर 586:ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 36] को अच्छा कानून बनाने वाला नहीं माना जा सकता है।"

ई.

च

627. क्या अनुच्छेद 16 (1) के तहत आरक्षण संभव है? उचित वर्गीकरण के सिद्धांत की आड़ में किसी भी आरक्षण के खिलाफ विस्तृत कारण पहले ही दिए जा चुके हैं। गरीबी का उन्मूलन जिसे "ऊँचा नहीं किया जाना चाहिए या प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि एक बुरी चीज है जिसे लड़ा जाना चाहिए और समाप्त किया जाना चाहिए" [जवाहरलाल नेहरू, डोरोथी, नॉर्मन (एड। नेहरू)] संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित आदर्शों में से एक है क्योंकि यह आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए अभिनिर्धारित करता है और अनुच्छेद 38 (2) के तहत राज्य को प्रोत्साहित करता है

जी.

एच.

814 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

आय की असमानता को कम करना। फिर भी, क्या राज्य इस उद्देश्य के लिए सेवा में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए पद आरक्षित कर सकता है। इस देश और अमेरिका में अदालतों द्वारा विकसित समानता की अवधारणा में कानूनों के समान संरक्षण या कानून के संचालन द्वारा 'लाभ और बोझ' में समानता का अधिकार, समान रूप से समान लोगों के बीच और असमान लोगों के बीच समान रूप से निहित है। लेकिन आर्थिक मानदंड या धन भेदभाव पर किसी भी आरक्षण या सकारात्मक कार्रवाई को उचित वर्गीकरण के सिद्धांत के तहत बरकरार नहीं रखा जा सकता है। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण उन सेवाओं में भाग लेने के सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है जिन पर कुछ अगड़े वर्गों का एकाधिकार था। इस प्रकार बनाई गई खाई को पाटने के लिए, सकारात्मक कार्यों को दोनों वर्गों के बीच सामाजिक और शैक्षिक अंतर के रूप में बरकरार रखा गया है जो वर्गीकरण के लिए उचित आधार प्रदान करता है। अमीर और गरीब के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सार्वजनिक रोजगार के वर्गीकरण के लिए गरीबी एक तर्कसंगत आधार नहीं हो सकती है।"

ग

डी.

4. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इंद्र साहनी (उपरोक्त) में, इस अदालत ने फैसला सुनाया कि नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक सीमित था, और इसका विस्तार पदोन्नति तक नहीं था। इस तरह के निष्कर्ष के लिए तर्क यह था कि पदोन्नति में आरक्षण का सेवाओं की दक्षता पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा: सबसे पहले, वे आरक्षित उम्मीदवारों के बीच काम करने की भावना को दबा देंगे, और एक स्थायी अलग श्रेणी के निर्माण के बराबर होंगे। दूसरा, इस तरह के आरक्षण से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में निराशा और नाराजगी की भावना पैदा होगी। तीसरा, पदोन्नति में आरक्षण समानता के नियम का उल्लंघन करेगा।

ई.

च

5. इंद्र साहनी (ऊपर) में अदालत की घोषणा को नकारने के लिए, संसद ने 1995 के 77 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा खंड (4-ए) को शामिल करके संविधान के अनुच्छेद 16 में एक संशोधन पेश किया। खंड (4-ए) इस प्रकार है:

जी.

"इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के तहत सेवाओं में किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जो राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।"

एच.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनामए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

क.

इसके अतिरिक्त, 77 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1995 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

“अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1955 से पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा का आनंद ले रहे हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर, 1992 के अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत नियुक्तियों या पदों का आरक्षण प्रारंभिक नियुक्ति तक ही सीमित है और पदोन्नति के मामले में आरक्षण तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि राज्यों में सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व आवश्यक स्तर तक नहीं पहुंचा है, इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखना आवश्यक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए, सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की मौजूदा नीति को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसे पूरा करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने के लिए उक्त अनुच्छेद में एक नया खंड (4-ए) जोड़कर संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन करना आवश्यक है।”

ग

डी.

ई.

इस प्रकार, पदोन्नति में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को दिया गया था।

II. विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का इतिहास

च

6. भारत संघ बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड 7 में, यह

अदालत ने इंद्र साहनी (ऊपर) में वर्णित नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए 'ऊर्ध्वाधर' आरक्षण और पूर्ववर्ती विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर) की धारा 33-8 के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए 'क्षैतिज' आरक्षण के बीच अंतर को दोहराया था।

जी.

7 भारत संघ बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, (2013) 10 एस. सी. सी. 772। यह भी देखें

आम तौर पर-विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 32 और 33 के बीच संबंध, स्पष्ट किया गया

भारत सरकार बनाम रवि प्रकाश गुप्ता, (2010) 7 एस. सी. सी. 626।

8 33. पदों का आरक्षण।— प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में रिक्तियों का ऐसा प्रतिशत नियुक्त करेगी जो व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत से कम नहीं होगा या ए

एच.

816

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 ("1995 अधिनियम"), निम्नानुसार है:

“42. इंद्र साहनी का एक अवलोकन [1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217:1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) अनुपूरक 1:(1992) 22 एटीसी 385:ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 477] से पता चलता है कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण पर लागू होती है, जबकि विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण क्षैतिज है, जो संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत है। वास्तव में, इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के नियम पर विचार करते हुए विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में 3 प्रतिशत आरक्षण का उदाहरण दिया है। निर्णय के पैरा 812 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के तहत उम्मीदवारों के चयन और नियुक्ति के बाद उन्हें उस श्रेणी के आधार पर क्रमशः आरक्षित श्रेणी या खुली श्रेणी के संबंधित रॉस्टर में रखा जाएगा जिससे वे संबंधित हैं और इस प्रकार, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का 50 प्रतिशत की सीमा से कोई लेना-देना नहीं है। पैरा 812 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: (SCC pp. 735-36) "812.. सभी आरक्षण समान प्रकृति के नहीं हैं। दो प्रकार के आरक्षण हैं, जिन्हें सुविधा के लिए 'ऊर्ध्वाधर आरक्षण' और 'क्षैतिज आरक्षण' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। [अनुच्छेद 16 (4) के तहत] अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहा जा सकता है, जबकि [अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत] शारीरिक रूप से विकलांगों के पक्ष में आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण को काटते हैं-जिसे इंटरलॉकिंग आरक्षण कहा जाता है। अधिक सटीक होने के लिए,

ग

डी.

ई.

च

विकलांग व्यक्तियों का वह वर्ग जिसमें से प्रत्येक का एक प्रतिशत निम्न स्थितियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा -
जी.

(i) अंधापन या कम दृष्टि;

((ख) श्रवण दोष;

(iii) प्रत्येक अक्षमता के लिए पहचाने गए पदों में लोकोमोटर अक्षमता या सेरेब्रल पाल्सी: बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, किसी भी विभाग या प्रतिष्ठान में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए, किसी भी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

एच.

817

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस. v. ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

क.

मान लीजिए कि 3 प्रतिशत रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं; यह अनुच्छेद 16 के खंड (1) से संबंधित आरक्षण होगा। इस कोटे के लिए चुने गए व्यक्तियों को उपयुक्त श्रेणी में रखा जाएगा; यदि वह अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस कोटे में रखा जाएगा; इसी तरह, यदि वह खुली प्रतियोगिता (ओसी) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस श्रेणी में रखा जाएगा। इन क्षैतिज आरक्षणों का प्रावधान करने के बाद भी, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण का प्रतिशत बना हुआ है-और बना रहना चाहिए।”

ग

इस फैसले में 'पदोन्नति' में आरक्षण पर चर्चा नहीं की गई थी, बल्कि इसकी घोषणा केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित थी।

7. राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ 9 अधिकृत रूप से निपटाया गया

विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के सवाल के साथ। जे. चेलमेश्वर द्वारा लिखित दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले ने इंद्र साहनी (उपरोक्त) के आवेदन को इस प्रकार अलग किया:

डी.

“21. इंद्र साहनी बनाम भारत संघ, 1992 में निर्धारित सिद्धांत सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217:1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) अनुपूरक 1:(1992) 22 ए. टी. सी. 385] केवल तभी लागू होता है जब राज्य पिछड़े वर्ग के रूप में पहचाने जाने वाले नागरिकों के कुछ वर्गों को राज्य के तहत रोजगार के मामले में वरीयता देना चाहता है। अनुच्छेद 16 (4) राज्य को अनुच्छेद 16 (1) के तहत नागरिकों के अन्य वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार (आरक्षण) प्रदान करने से अक्षम नहीं करता है [इंद्र साहनी मामले के अनुसार, 1992 सप्लीमेंट (3) एससीसी 217, अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) का एक उपसमुच्चय है।] यदि वे अन्यथा इस तरह के उपचार के लायक हैं। हालाँकि, अनुच्छेद 16 (1) के अधिदेश के अनुरूप, कानून के तहत इस तरह के तरजीही व्यवहार के निर्माण के लिए, राज्य अनुच्छेद 16 (1) में उल्लिखित जाति, धर्म आदि जैसे किसी भी कारक को आधार के रूप में नहीं चुन सकता है। पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण प्रदान करने का आधार शारीरिक अक्षमता है न कि अनुच्छेद के तहत निषिद्ध मानदंडों में से कोई।

ई.

च

जी.

16(1). इसलिए, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं का नियम जैसा कि इंद्र साहनी [इंद्र साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में निर्धारित किया गया है।

9 राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ, (2016) 13 एस. सी. सी. 153 ए

एच.

818 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

भारत, 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217:1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) अनुपूरक 1:(1992) 22 ए. टी. सी. 385] ने पीडब्ल्यूडी को जल्दी और मानक रूप से कोई आवेदन नहीं दिया है।

(जोर दिया गया)

24. 1995 के अधिनियम की धारा 32 और 33 का संयुक्त अध्ययन पीडब्ल्यूडी को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रशासन की आवश्यकताओं और अनिवार्यता के बीच एक ठीक और परिकल्पित संतुलन की व्याख्या करता है। इसलिए, जैसा कि हमारे विश्लेषण के पहले भाग में विस्तृत है, धारा 32 के तहत पहचान अभ्यास महत्वपूर्ण है। एक बार किसी पद की पहचान हो जाने के बाद, इसका मतलब है कि पीडब्ल्यूडी चिन्हित पद से जुड़े कार्यों को करने में पूरी तरह से सक्षम है। एक बार इतना सक्षम पाए जाने के बाद, धारा 33 के तहत तीन प्रतिशत से कम की सीमा तक आरक्षण का पालन करना चाहिए। एक बार पद की पहचान हो जाने के बाद, यह पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित होना चाहिए, चाहे उक्त पद को भरने के लिए राज्य द्वारा भर्ती का कोई भी तरीका अपनाया गया हो।”

डी.

8. इसके बाद पदोन्नति में आरक्षण की व्याख्या के संबंध में मुद्दे को हल करने के लिए एक बड़ी पीठ को एक संदर्भ दिया गया।

इंद्र साहनी (ऊपर) और राजीव कुमार गुप्ता (ऊपर) द्वारा। इस प्रकार, सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्य 10 में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

ई.

नरीमन, जे. द्वारा प्रस्तुत किया गया:

“12. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सहित सभी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि इस न्यायालय के फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता है जब उसने कहा कि इंद्र साहनी [इंद्र साहनी बनाम भारत संघ, 1992 सप्लीमेंट (3) एससीसी 215:1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) सप 482] ने एक अलग समस्या से निपटा और इसलिए, इसका पालन नहीं किया जा सकता है।”

च

9. इसके बाद, केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ 11 में, दो -

न्यायाधीश कौल, जे. द्वारा लिखित न्यायाधीश पीठ के फैसले में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण से विकलांग व्यक्तियों को वंचित नहीं किया जा सकता है:

जी.

10 सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्य, (2020) 19 एस. सी. सी. 572। 11 केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ, (2021) 9 एस. सी. सी. 208।

एच.

819

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस. v. ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

“18. उपरोक्त याचिका की जांच करने पर हम पाते हैं कि विद्वान न्यायमित्र ने जो तर्क दिया है, उसमें योग्यता है और हमारा विचार है कि वास्तव में यह मुद्दा भारत संघ बनाम रवि प्रकाश गुप्ता [भारत संघ बनाम रवि प्रकाश गुप्ता, (2010) 7 एस. सी. सी. 626:(2010) 2 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 448] और भारत संघ बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, (2013) 10 एस. सी. सी. 772:(2014) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 257] का मानना है कि आरक्षण की गणना संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या के संदर्भ में की जानी चाहिए और सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या में नामांकन के साथ-साथ पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां शामिल होंगी। वास्तव में, यह बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण था जिस पर राष्ट्रीय विकलांग विकास परिसंघ बनाम भारत संघ [राष्ट्रीय विकलांग विकास परिसंघ बनाम भारत संघ, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम 5112] में उपरोक्त चर्चा की गई थी, जिसमें भारत संघ बनाम राष्ट्रीय विकलांग विकास परिसंघ [भारत संघ बनाम राष्ट्रीय विकलांग विकास परिसंघ, (2015) 13 एस. सी. सी. 643: (2016) 1 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 276]। हम राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ [राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ, (2016) 13 एस. सी. सी. 153 में टिप्पणियों पर ध्यान दे सकते हैं: (2017) 2 पैरा 24 में एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 605]: (राजीव कुमार गुप्ता मामला [राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ, (2016) 13 एस. सी. सी. 153:(2017) 2 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 605], एस. सी. सी. पी. 162)

ग

डी.

ई.

च

"24. ... एक बार पद की पहचान हो जाने के बाद, यह पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित होना चाहिए, चाहे उक्त पद को भरने के लिए राज्य द्वारा भर्ती का कोई भी तरीका अपनाया गया हो।"

(जोर दिया गया) और सरकार को निर्देश जारी किया गया कि समूह ए और समूह बी में सभी चिन्हित पदों में "ऐसे पदों को भरने के तरीके की परवाह किए बिना" पीडब्ल्यूडी को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

जी.

एच.

820 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

II. क्या 1995 के अधिनियम की धारा 33 के तहत आरक्षण धारा 32 द्वारा निर्धारित पदों की पहचान पर निर्भर है?

21. विद्वान न्यायमित्र की याचिका पर, जिसे हम बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विधायिका का यह इरादा कभी नहीं था कि धारा 32 के प्रावधानों का उपयोग धारा 33 के तहत आरक्षण के लाभों को विफल करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाएगा। वास्तव में, आरक्षण के उद्देश्यों के लिए पदों की पहचान 1995 के अधिनियम के तुरंत बाद की जानी थी। इस तरह के आरक्षण का विरोध अधिकांश सरकारी अधिकारियों द्वारा इरादे को सही मायने में लागू करने में अपनाई गई देरी की रणनीति से स्पष्ट है। इस प्रकार यह दर्शाता है कि कभी-कभी किसी कानून को लागू करना आसान होता है लेकिन सामाजिक मानसिकता को बदलना कहीं अधिक कठिन होता है जो अधिनियमित अधिनियम के इरादे को विफल करने के तरीके और साधन खोजने का प्रयास करेगा और धारा 32 उसी का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। भारत संघ बनाम रवि प्रकाश गुप्ता [भारत संघ बनाम रवि प्रकाश गुप्ता, (2010) 7 एस. सी. सी. 626:(2010) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 448] ने भी, इस न्यायालय ने आरक्षण के उद्देश्यों के लिए पदों की पहचान को अनिवार्य कर दिया। इस प्रकार, धारा 33 के प्रावधान के तहत छूट दिए जाने तक प्रत्येक प्रतिष्ठान में पदों की पहचान की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पदों की पहचान नियुक्ति के लिए एक पूर्व शर्त थी, लेकिन फिर पूर्व शर्त का पालन करने से इनकार करके नियुक्ति को निराश नहीं किया जा सकता है। इस विचार की पुष्टि भारत संघ बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, (2013) 10 एस. सी. सी. 772 में तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ ने की थी: (2014) 2 एससीसी (एल एंड एस) 257]।"

ग

डी.

ई.

च

III. विश्लेषण

10. शुरुआत में, यह देखना अनिवार्य है कि 1995 के अधिनियम में इसके उत्तराधिकारी अधिनियम, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 ("2016 अधिनियम"), 12 के विपरीत, विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए "पदोन्नति" में आरक्षण का प्रावधान नहीं था, जिसने राज्य को ऐसा करने में सक्षम बनाया। 1995 के अधिनियम की धारा 33 में धारा 32 के तहत चिन्हित पदों के लिए केवल 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण था।

जी.

12 “34. आरक्षण।- [***] बशर्ते कि पदोन्नति में आरक्षण ऐसे निर्देशों के अनुसार होगा जो उपयुक्त सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं।

एच.

821

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम ए. के. एन. ए. आई. आर. और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

क.

(i) अंधापन या कम दृष्टि; (ii) श्रवण हानि; और (iii) लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित। पदोन्नति तक इसके विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है। इस तरह की वैधानिक शक्ति के अभाव में, इस न्यायालय द्वारा मौजूदा प्रावधानों में इसका समावेश संदेह से परे नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से पदोन्नति में इस तरह के आरक्षण दिए गए हैं- भले ही क्षेत्रीय रूप से-अधिकार के मामले के रूप में, इंद्र साहनी (उपरोक्त) में नौ न्यायाधीशों द्वारा इसके स्पष्ट निषेध के विपरीत नहीं है। इसलिए मैं इसकी व्याख्या में अन्यथा गंभीर आपत्ति रखता हूँ।

11. जबकि इंद्र साहनी (ऊपर) निस्संदेह नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण से संबंधित थे, क्षेत्रीय आरक्षण की यह समझ वास्तव में इसी निर्णय से पैदा हुई।¹³ यह नहीं कहा जा सकता है कि पदोन्नति में आरक्षण पर इसका सक्रिय हिस्सा केवल उसी मोर्चे पर नागरिकों के अन्य वर्गों पर लागू नहीं होता है। इसके आवेदन को अलग करने की इस तरह की कवायद इसके तर्क के सार से चूक जाती है- कि प्रारंभिक नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान मूल समानता के जनादेश को आगे बढ़ाता है, लेकिन पदोन्नति के लिए इसका आवेदन उसी जनादेश के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 16 का इरादा प्रतिस्पर्धा की भावना को समाप्त करके प्रशासनिक अक्षमता से समझौता करने का नहीं था- आखिरकार, पदोन्नति से प्राप्त पद कम हो जाते हैं। एक निश्चित भाग को नागरिकों के एक वर्ग के लिए निर्धारित करना, न कि अन्य के लिए, जिन्होंने इस तरह की क्षेत्रीयता (जैसे महिलाएँ, सेवानिवृत्त/पूर्व सैनिक, आदि) के बल पर प्रारंभिक नियुक्तियाँ भी प्राप्त की हों। संवैधानिक रूप से संरक्षित नहीं है- पदोन्नति में आरक्षण का एकमात्र अपवाद एससी/एसटी नियुक्तियाँ हैं, जैसा कि अनुच्छेद 16 (4 ए) के तहत प्रदान किया गया है।

12. इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय आरक्षण, उनके ऊर्ध्वाधर समकक्षों के विपरीत, कठोर नहीं हैं, लेकिन उनके लिए एक तरलता है, जैसा कि इसमें देखा गया है।

ग

डी.

ई.

च

सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में अदालत का फैसला।¹⁴

क्षेत्रीय आरक्षण के लिए पात्र उम्मीदवार अपनी ऊर्ध्वाधर श्रेणी तक ही सीमित नहीं है। आरक्षण के इस इंटरलॉकिंग ढांचे से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए प्रवास की अनुमति है। हालाँकि, पदोन्नति में इस तरह का तंत्र काम नहीं करता है, जहाँ ऊर्ध्वाधर और क्षेत्रीय योग्यताएँ अनुपस्थित हैं (एससी/एसटी उम्मीदवारों को छोड़कर)। विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित (तत्कालीन) 3 प्रतिशत आरक्षण अब क्षेत्रीय नहीं रहता है, बल्कि इसे ऊर्ध्वाधर रूप से लागू किया जाता है। जबकि 2016 का अधिनियम राज्य को इस तंत्र को तैयार करने में सक्षम बनाता है, ऐसा 1995 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।

जी.

13 देखें, इंद्र साहनी (ऊपर) का पैरा 812।

एच.

14 सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 4 एस. सी. सी. 542।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

क.

13. इससे संविधान के अनुच्छेद 16 (4) द्वारा मान्यता प्राप्त उसी पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के साथ अलग-अलग व्यवहार भी होता है। एक ओ. बी. सी. उम्मीदवार जो एक विकलांग व्यक्ति भी है, उसे पदोन्नति में गैर-विकलांग ओ. बी. सी. उम्मीदवार पर वरीयता दी जाएगी, जो अस्वीकार्य है। इसके अलावा, एक पढ़ने पर

टी. देवदासन और एन. एम. थॉमस (ऊपर) के संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि

जबकि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाया जाना है, 2016 अधिनियम विकलांग उम्मीदवारों के लिए क्षैतिज आरक्षण को अधिकतम दो साल की अवधि के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। हालांकि, संविधान में संशोधन यह मानता है कि पदोन्नति रिक्तियों में 'कैरी फॉरवर्ड' रिक्तियां 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो सकती हैं। इस संशोधन [अनुच्छेद 16 (4-बी) को सम्मिलित करने] को इस अदालत ने एम.

ग

नागराज बनाम भारत संघ। 15

14. 1995 के अधिनियम की धारा 33 और 2016 के अधिनियम की धारा 34 जैसे प्रावधानों के पीछे प्रशंसनीय इरादा निर्विवाद है। यह दिया गया है कि विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवा में समायोजित करने की आवश्यकता है। साथ ही, इस उचित आवास से सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति रिक्तियों में आरक्षण के लिए अन्य प्रकार के क्षैतिज आरक्षण का लाभ उठाने वालों की मांगों के लिए द्वार नहीं खुलने चाहिए। जैसा कि शुरुआत में कहा गया है, मैं अपीलार्थी को प्रस्तावित राहत से सहमत हूं, और तदनुसार दत्ता, जे. के फैसले में निहित निर्देशों से सहमत हूं।

डी.

ई.

आदेश

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपांकर दत्ता (माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. आर. भट द्वारा सहमत) द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अपील का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के संदर्भ में किया जाता है:

च

“हम भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश देते हैं कि वह श्री नायर को सहायक प्रबंधक ग्रेड-‘ए’ के पद पर काल्पनिक पदोन्नति प्रदान करे, जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से प्रभावी होगी, यानी 27 सितंबर, 2006 और वास्तविक पदोन्नति 15 सितंबर, 2014 से, यानी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन की अंतिम तिथि। यह अभ्यास तारीख से 2 (दो) महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। 15 सितंबर, 2014 से श्री नायर को प्राप्त होने वाले मौद्रिक लाभों की गणना की जाएगी और 4 (चार) महीने की तारीख तक जारी किए जाएंगे।

जी.

15 एम. नागराज बनाम भारत संघ, (2006) 8 एससीसी 212।

एच.

क.

चूँकि श्री नायर के पास सेवानिवृत्ति पर अपनी सेवानिवृत्ति के लिए कुछ साल हैं, इसलिए यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि कंप्यूटिंग में 27 सितंबर, 2006 से उनके सेवानिवृत्त लाभों को उचित सम्मान दिया जाएगा, जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है। अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है। दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।"

निधि जैन

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.